

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

गरियाबंद के सौ बिस्तर अस्पताल भवन की लागत तथा उसमें स्वीकृत एवं रिक्त पद

1. (*क्र. 79) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के गरियाबंद के सौ बिस्तर अस्पताल भवन का निर्माण कब पूरा हुआ तथा निर्माण में कितनी लागत आयी ? भवन का लोकार्पण कब हुआ तथा भवन में अस्पताल कब से प्रारंभ हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) उपरोक्त अस्पताल हेतु कुल कितना अमला स्वीकृत किया गया है ? स्वीकृत पदों में से किन-किन पदों पर पदस्थापना की गयी है एवं कितने पद रिक्त हैं ? पदवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 50 बिस्तर अस्पताल भवन का निर्माण कार्य दिनांक 28-04-2008 को पूरा हुआ तथा निर्माण में रुपये 270.00 लाख की लागत आयी, भवन का लोकार्पण दिनांक 07-05-2008 को हुआ. सेटअप की स्वीकृति न होने के कारण अस्पताल प्रारम्भ नहीं किया जा सका है. (ख) सेटअप स्वीकृति हेतु विचाराधीन है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

2. (*क्र. 12) श्री सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? इनमें से कितने केन्द्र भवनविहीन हैं ? (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन हैं और किस एजेन्सी द्वारा निर्माण किया जा रहा है और यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? (ग) कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र और भवन कहां-कहां पर प्रस्तावित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 235 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. इनमें से 94 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत नहीं है. (ख) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 28 आंगनबाड़ी भवन निर्माणाधीन हैं. जनपद पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है. आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण पूर्ण होने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 101 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्रस्तावित है, जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. 37 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन प्रस्तावित है, जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

मेडिकल कालेज रायगढ़ के लिये आवंटित भूमि

3. (*क्र. 116) श्री देवजी भाई पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में मेडिकल कालेज के लिए कितनी-कितनी शासकीय भूमि कहां-कहां चिन्हांकित एवं आवंटित की गई है ? (ख) क्या आवंटित भूमि से संबंधित शासकीय दस्तावेज, भू-अभिलेख में हेरा फेरी की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां तो, किन-किन अभिलेखों में और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले के ग्राम बेन्द्राचुवां, पटवारी हल्का नंबर 13 तहसील रायगढ़ स्थित शासकीय भूमि कुल खसरा 7, कुल रकबा 16.186 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना के लिये छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर को दिनांक 17-11-2005 को हस्तान्तरित किया गया है. (ख) हस्तान्तरित भूमि से संबंधित शासकीय दस्तावेज, भू-अभिलेख में हेराफेरी के संबंध में शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया है.

स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण समाप्ति की कार्यवाही

4. (*क्र. 205) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण पर प्रतिबंध है ? यदि हां तो, कब से एवं प्रतिबंध के बाद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर कार्यालय में संलग्नीकरण के रूप में कार्यरत कितने कर्मचारी को कार्यमुक्त किया गया है ? तथा कितने कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है और उन्हें कार्यमुक्त कब तक किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी हां. दिनांक 04-06-2001 से. 18 कर्मचारी को कार्यमुक्त किया गया है. निरंक. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायपुर जिला अंतर्गत माना बाल सम्प्रेषण गृह से फरार बालकों की जानकारी

5. (*क्र. 43) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माना बाल सम्प्रेषण गृह, जिला रायपुर में कितने बच्चों को रखने की व्यवस्था है और इस बाल सम्प्रेषण गृह में बच्चों को रखने की क्या-क्या व्यवस्था है और इस बाल सम्प्रेषण गृह में बच्चों को भोजन, आवास एवं शिक्षा दीक्षा के लिए कितने अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और क्या-क्या सुविधा बालकों को दी जाती है ? (ख) माना बाल सम्प्रेषण गृह से कितने बच्चे 01 जुलाई, 2009 से 03 जुलाई, 2010 तक की अवधि में किस-किस तिथि को किन कारणों से फरार हो गए हैं ? उन्हें किन कारणों से सम्प्रेषण गृह में कब-कब रखा गया था और फरार बच्चे कहां-कहां के निवासी हैं ? कितने बच्चे पुनः वापस सम्प्रेषण गृह में आ चुके हैं और सम्प्रेषण गृह में 03-07-10 की स्थिति में कितने बच्चे हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) माना बाल सम्प्रेषण गृह में अधिकतम 100 बच्चों को रखने की व्यवस्था है और इस बाल सम्प्रेषण गृह में अंतःवासी बालकों के लिए तीन आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, खेल मैदान की व्यवस्था है. इस सम्प्रेषण गृह में तैनात अधिकारी/कर्मचारी की सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. इस बाल सम्प्रेषण गृह में अंतःवासी बालकों को रहने हेतु पलंग, गद्दा, तकिया, चादर, मच्छरदानी आदि की सुविधा, पहनने हेतु अन्डर वियर, बनियान, फुल पेंट, शर्ट, लोवर, टी-शर्ट, टावेल, चप्पल इत्यादि, मनोरंजन एवं खेल कूद के लिए 1 टी.वी., कैरम बोर्ड, लूडो, चाइनीज चेकर, बैडमिन्टन, फुटबाल, बॉलीवाल एवं क्रिकेट आदि की सुविधा दी गई है. (ख) माना बाल सम्प्रेषण गृह से दिनांक 1 जुलाई, 2009 से 03 जुलाई, 2010 तक की अवधि में दिनांक 1-5-2010 को 11 बच्चे फरार हुए. बच्चों के फरार होने का कारण उनका पूर्ण रूपेण स्वच्छंद वातावरण में अनुशासनहीन रहने का उद्देश्य है. फरार हुए बच्चों को सम्प्रेषण गृह में रखने, प्रवेश की तिथि, उनके निवास का पता तथा फरार बच्चों में से सम्प्रेषण गृह में वापस आने संबंधी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. दिनांक 3-7-2010 की स्थिति में संस्था में 87 बालक थे.

सरगुजा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु सायकल क्रय

6. (*क्र. 3) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2010 में 02-07-2010 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कितनी-कितनी सायकलें, किस-किस कंपनी की, किन-किन फर्मों से, किस-किस दर पर क्रय की गई ? सेलटेक्स नंबर सहित जानकारी दें ? (ख) खरीदी के लिए क्या मापदण्ड एवं शर्तें थी ? क्या निविदा बुलाई गई थी ? यदि हां, तो कब-कब, किन-किन समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया ? कितनी फर्मों ने निविदा में भाग लिया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा भण्डार क्रय नियम के तहत किये गये रेट कान्ट्रैक्ट के अनुसार चयनित प्रदायकर्ताओं को जिले से प्रदाय आदेश जारी किया गया है. जिला सरगुजा में भी क्रय की यही प्रक्रिया एवं मापदण्ड अपनाया गया है. अतः निविदा आमंत्रित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. तदनुसार शेष का उत्तरांश निरंक है. क्रय के मापदंड एवं शर्तें सीएसआईडीसी एवं प्रदायकर्ता के बीच हुए अनुबंध में उल्लेखित है. अनुबंध का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित है.

जिला राजनांदगांव में हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड का वितरण तथा लाभान्वित हितग्राही

7. (*क्र. 142) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत राजनांदगांव जिले में कुल कितने लोगों को स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाना है, इनमें से कितने हितग्राहियों को कार्ड का वितरण

किया जाना शेष है, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) राजनांदगांव जिले अंतर्गत किन-किन शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में स्मार्ट कार्ड से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है और कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है ? चिकित्सालय के नामवार जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1,09,051 लोगों को स्मार्ट कार्ड वितरण किया जाना है. 68,182 हितग्राहियों को कार्ड का वितरण शेष है. † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

महासमुन्द जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति

8. (*क्र. 164) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका तथा सुपरवाइजर के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी 30 जून, 2010 की स्थिति में विकासखण्डवार बतायें ? (ख) जिले में वर्ष 2008 से 30-6-2010 तक की स्थिति में कार्यकर्ता/सहायिका के कितने पदों पर नियुक्ति दी गई वर्षवार विकासखण्डवार बतायें ? (ग) उक्तावधि में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कितने पदों की नियुक्ति निरस्त की गई ? (घ) प्रश्नांश क के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं में से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त की गई है. (घ) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बालको चिमनी हादसे में गिरफ्तारी एवं जमानत

9. (*क्र. 264) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिला स्थित बालको में दिनांक 23-09-2009 को चिमनी ढहने से हुए हादसे में दर्ज अपराध क्र.-377/09 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों में से किनकी-किनकी जमानत कब-कब, कहां-कहां से किन शर्तों के अधीन हुई है तथा गिरफ्तारी से जमानत की अवधि के बीच इनको कहां-कहां रखा गया था ? जमानतदारों के नाम पते अलग-अलग क्या-क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : कोरबा जिला स्थित बालको में दिनांक 23-09-2009 को चिमनी ढहने से हुए हादसे में दर्ज अपराध क्रमांक-377/09 धारा 304, 324, 326, 201, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तार 12 व्यक्तियों के नाम, जमानत दिनांक एवं न्यायालय का नाम तथा शर्तों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं गिरफ्तारी से जमानत की अवधि के बीच कहां-कहां रखा गया था तथा जमानतदारों के नाम पते की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

रायगढ़ जिले में भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (घ) के तहत लंबित प्रकरण

10. (*क्र. 201) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के कुल कितने प्रकरण दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में लंबित है ? तहसीलवार बतावें. (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित लंबित प्रकरणों में से विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा के कुल कितने प्रकरण है ? (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले के निम्नांकित तहसीलों में उनके नाम के सम्मुख दर्शित अनुसार प्रकरण लंबित है :-

01-रायगढ़	07
02-पुसौर	03
03-खरसिया	03
04-घरघोड़ा	02
05-लैलूंगा	07
06-तमनार	08

07-सारंगढ़ 02

योग 32

(ख) विधान सभा क्षेत्र लैलुंगा के कुल 20 प्रकरण लंबित है. (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

11. (*क्र. 84) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित पृथक-पृथक बतायें ? (ख) क्या उक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधायुक्त स्वयं का भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं तो, भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं ? ग्राम के नाम सहित पृथक-पृथक बतायें ? भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वयं का भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 40 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है. विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जी नहीं. 33 भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्र है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमोनियम-नाईट्रेट की लूट की घटना पर कार्यवाही

12. (*क्र. 279) **डॉ. धर्मजीत सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 19 मई, 2010 एवं 20 मई, 2010 की रात्रि में जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोंडागांव के नजदीक एक ट्रक में परिवहन किए जा रहे अमोनियम-नाईट्रेट को लूट लिया गया है ? यदि हां तो, यह ट्रक किस स्थान से किस संस्थान का अमोनियम-नाईट्रेट लेकर किस संस्थान के लिये कितनी मात्रा में अमोनियम-नाईट्रेट लेकर कब किस तिथि को रवाना हुआ और किन परिस्थितियों में कहां पर कैसे लूट की गई ? (ख) क्या यह भी सत्य कि प्रश्न (क) में पूछे गए मार्ग पर ही दिनांक 01 जनवरी, 2009 से लेकर 18 मई, 2010 के मध्य भी बारूद से भरे ट्रक को लूटने की घटना घटित हुई है ? यदि हां तो, कब कहां और कितनी मात्रा में कौन सा बारूद लूट लिया गया है ? (ग) क्या बारूद या बारूद में उपयोगी पदार्थों के परिवहन के पूर्व संबंधित प्रदेश की पुलिस को परिवहनकर्ता द्वारा सूचना देने का प्रावधान है ? यदि हां तो, क्या प्रश्न (क) में इस नियम का पालन किया गया है ? (घ) प्रश्न (क) में अमोनियम-नाईट्रेट की लूट की घटना में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) यह सही नहीं है कि दिनांक 19 मई 2010 एवं 20 मई 2010 की रात्रि में ट्रक में भरे अमोनियम-नाईट्रेट को लूट लिया गया है बल्कि सही यह है कि दिनांक 18-05-2010 के शाम 5 बजे जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 43 में थाना भानपुरी अन्तर्गत ग्राम घोड़ागांव माकड़ी पुल के पास ट्रक क्रमांक-ए.पी.35/यू.8088 में 17 टन अमोनियम-नाईट्रेट को अज्ञात नक्सलियों द्वारा लूट लिया गया है. ट्रक क्रमांक-एपी 35/यू-8088 17 टन अमोनियम-नाईट्रेट विशाखापट्टनम के श्री कृष्णा एक्सप्लोसिव एसेसरिज कंपनी से दिनांक 17-05-2010 को लेकर रायपुर के समीप उरला स्थित ग्राम पिरदा के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री के लिए रवाना हुआ था. उक्त ट्रक विशाखापट्टनम स्थित श्री कृष्णा एक्सप्लोसिव एसेसरिज कंपनी से 17 टन अमोनियम-नाईट्रेट लेकर चालक लंका पोला राव दिनांक 17-05-2010 को रवाना हुआ था. रात्रि में सालूर पहुंचकर गाड़ी मालिक सिम्हाचलम के निवास पर गाड़ी खड़ी रही. दूसरे दिन दिनांक 18-05-2010 को वाहन चालक लंका पोला राव कंडक्टर एस. काली के साथ उक्त वाहन को सालूर से रायपुर ले जाने के लिए प्रातः 8.00 बजे रवाना हुआ तथा संध्या 4 बजे जगदलपुर पारकर शाम करीब 5 बजे थाना भानपुरी जिला बस्तर के ग्राम घोड़ागांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में आगे पुलिया पर ब्रेकर होने के कारण चालक ने ट्रक की गति को धीमा किया कि दो मोटर सायकिलों में सवार 5 नक्सली तेज रफतार से आकर ट्रक के सामने मोटर सायकिल खड़ा कर दिये एवं 2 नक्सली देशी कट्टा दिखा कर ट्रक का दरवाजा खोलकर कंडक्टर एस. काली के माथे पर कट्टा लगा दिये, 1 नक्सली ड्रायवर को सीट से हटाकर उसके सीट पर बैठ गया तथा वाहन को जंगल की ओर जाने वाले बायें तरफ की पक्की सड़क की ओर मोड़कर अन्दर के रास्ते पर ले गये एवं ड्रायवर तथा कंडक्टर की आंख में पट्टी बांध दिये. 3 नक्सली ट्रक में बैठे थे एवं 2 नक्सली मोटर सायकिल में ट्रक के आगे व पीछे चल रहे थे, लगभग 3 घंटा चलने के पश्चात् एक सूनसान जंगल पहाड़ी स्थान पर पहुंचकर ड्रायवर तथा कंडक्टर की आंख में बंधी पट्टी खोले, वहां पर 4 सशस्त्र नक्सली सादी वर्दी में बंदूकें लिए खड़े थे. उक्त चारों नक्सलियों की देखरेख में ड्रायवर तथा कंडक्टर को उसी स्थान पर छोड़कर शेष नक्सली उक्त ट्रक को अन्दर जंगल की ओर ले गये. लगभग 24 घन्टा पश्चात् दिनांक 19-05-2010 को संध्या लगभग 7-8 बजे 3 नक्सली ड्रायवर व कंडक्टर के पास आये और उन्हें बताये कि कुछ दूर तुम्हारा ट्रक खड़ा है. ड्रायवर तथा

कंडक्टर को उक्त ट्रक खड़ा मिला जो खाली था उस ट्रक में लोड 17 टन अमोनियम-नाइट्रेट को नक्सली लूटकर ले गये थे. (ख) यह सही नहीं है कि दिनांक 01 जनवरी, 2009 से लेकर 18 मई, 2010 के मध्य जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारूद से भरी ट्रक को लूटने की घटना हुई है. (ग) यह सही है, कि अनुज्ञप्ति प्राप्त बारूद एवं बारूदों के उपयोगी पदार्थों के परिवहन के पूर्व संबंधित प्रदेश की पुलिस को परिवहनकर्ता द्वारा सूचना देने का प्रावधान है. अमोनियम-नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ के श्रेणी नहीं आता अतएव परिवहनकर्ता द्वारा तत्संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दिया है. (घ) प्रश्न (क) के संबंध में प्रार्थी ट्रक चालक लंका पोला राव की रिपोर्ट पर थाना भानपुरी में दिनांक 19-05-2010 के 23.30 बजे अपराध क्र. 72/10 धारा 395, 120-बी, 122 भा.द.वि. एवं 23, 38, 39 (2), 18 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर अज्ञात सशस्त्र नक्सलियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विशेष टीम द्वारा विवेचना की जा रही है. विशेष विवेचना टीम द्वारा विशाखापट्टनम स्थित ट्रांसपोर्टर सालूर लारी एसोसिएशन एवं रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख बेरियर में कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है साथ ही थाना लोहन्डीगुड़ा, थाना भानपुरी, थाना कोण्डागांव, थाना मरदापाल क्षेत्र के ग्रामों एवं जंगलों में अज्ञात नक्सलियों की पतासाजी की जा रही है.

जिला रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा में उद्योग स्थापित करने हेतु अधिग्रहित कृषि भूमि का रकबा

13. (*क्र. 99) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 की स्थिति में कृषि जोत भूमि का रकबा कितना-कितना था ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में उद्योग स्थापित करने हेतु कितनी-कितनी कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है ? तथा एम.ओ.यू. के अनुसार कितनी जमीन उद्योगों के लिए क्रय/अधिग्रहण प्रस्तावित है ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दिये गये उत्तर के संदर्भ में बताये कि उक्त में से कितनी सिंचित भूमि है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कृषि जोत भूमि का रकबा निम्नानुसार है :—

वर्ष	रायगढ़	जांजगीर-चांपा (रकबा हेक्टेयर में)
2008	292645	265413
2009	292143	265005
2010	288971	264173

(ख) उद्योग स्थापित करने हेतु जिला रायगढ़ में रकबा 266.633 हेक्टेयर एवं जिला जांजगीर-चांपा में रकबा 710.75 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है. उद्योगों के लिए रायगढ़ में 267.422 हेक्टेयर भूमि एवं जांजगीर-चांपा जिले के अन्तर्गत 4376.670 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है. (ग) जिला रायगढ़ में रकबा 24.390 हेक्टेयर एवं जांजगीर-चांपा में रकबा 501.15 एकड़ सिंचित भूमि है.

दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति

14. (*क्र. 228) **श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में दुर्ग ग्रामीण विधान सभा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन की स्वीकृति हुई है तथा उनकी निर्माण एजेन्सी कौन है ? (ख) उक्त में से कितने भवनों का निर्माण स्वीकृत स्थान पर किया गया ? (ग) निर्माण कब तक पूरा किया जाना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत भवनों की संख्या निरंक है. आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति न होने के फलस्वरूप निर्माण एजेन्सी की जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति न होने के फलस्वरूप जानकारी निरंक है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति न होने के फलस्वरूप जानकारी निरंक है.

शिवनाथ नदी के बाढ़ से होने वाले कटाव को रोकने हेतु किए गए उपाय

15. (*क्र. 150) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है. (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित ग्रामों में शासन के द्वारा बाढ़ से होने वाले कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील सिमगा के ग्राम अवरेठी, कचलोन, तेन्दूभाठा, मांढर, बनसांकरा, खैरघट, तुलसी, तोरा, चक्रवाय, चोरहानवागांव, चंदियापथरा, करहुल, तरपोंगा, लिमतरा, संजारीनवागांव, मराकोना, दौरेगा, कुलीपोटा तथा तहसील भाटापारा के ग्राम तरेगा, सूमा कैथी, सेमरिया, कुम्हरखान, परसवानी, (अ) अकोली, राजपुर, लमती, मेण्डरा, कोदवा कोनी, बगबुडवा, गुडाघाट, खपरी (एस), सिलवा, पथरिया, पासीद, रामपुर, लालपुर, ओटबंद, केरही, मेंकरी, केशला ग्राम शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। (ख) भूमि के कटाव को रोकने हेतु जल संसाधन संभाग रायपुर द्वारा तहसील भाटापारा के ग्राम केरही एवं मेकरी में बाढ़ नियंत्रण हेतु रुपये 117.54 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। जो कि विचाराधीन है। ग्राम केसला में तटबंध निर्माण हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य प्रगति पर है। सिमगा तहसील के ग्राम दौरेगा के लिए रुपये 107.79 लाख के प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। जो कि विचाराधीन है। तहसील भाटापारा के ग्राम सेमरिया एवं तहसील सिमगा के ग्राम तोरा का बाढ़ नियंत्रण का प्रस्ताव लागत राशि क्रमशः रुपये 98.29 लाख एवं रुपये 95.73 लाख बजट में सम्मिलित करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल रायपुर को भेजे गये हैं।

जिला बस्तर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

16. (*क्र. 71) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के बस्तर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा जिलों में कुल कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय कहां-कहां स्वीकृत हैं। कितने चिकित्सालय संचालित हैं। जिलेवार स्थानवार जानकारी दें। (ख) उक्त चिकित्सालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने रिक्त हैं, जिलेवार चिकित्सालयवार एवं पदवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

17. (*क्र. 211) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009-10 में अवैध शराब बिक्री के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009-10 में अवैध शराब बिक्री के कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रायगढ़ जिले के उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की जानकारी

18. (*क्र. 239) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों द्वारा कितनी-कितनी संख्या में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी रखे गए हैं ? उद्योगवार नियुक्त सुरक्षा कर्मियों की जानकारी दें ? (ख) निजी उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों में कितने-कितने लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर के हैं एवं कितने लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूल निवासी हैं, उद्योगवार, निवास स्थान की जानकारी दें ? (ग) क्या उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों का चरित्र सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायगढ़ जिले में कुल 18 औद्योगिक इकाईयों में 113 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं। उद्योगवार नियुक्त सुरक्षा कर्मियों की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है। (ख) 71 निजी उद्योगों में कुल 1858 सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं, जिसमें 575 छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूल निवासी हैं एवं 1283 छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के हैं। उद्योगवार निवास स्थान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है। (ग) सुरक्षा कर्मियों के चरित्र सत्यापन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

19. (*क्र. 268) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? (ख) संचालित कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए स्वयं का भवन उपलब्ध है तथा कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं ? भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी विकासखण्डवार व ग्रामवार दें ? (ग) वर्तमान में कितने भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 57 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है. (ख) 43 उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए स्वयं का भवन उपलब्ध है तथा 14 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं. विकासखण्डवार व ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है. (ग) 03 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए रुपये 17.60 लाख की स्वीकृति दी गई है.

प्रदेश में कृषिक पशुओं के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

20. (*क्र. 106) **श्री संतोष बाफना** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के माह जून तक कृषिक पशुओं का अवैध परिवहन कर कत्ल खाने ले जाते हुए जिलेवार कितने-कितने प्रकरण कब-कब किन-किन थानों में दर्ज किये गये ? (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित प्रकरणों में दोषी किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 21 जिलों में से 17 जिलों में वर्ष 01 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक (204) 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च 2010 तक (193) एवं 01 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक (38) इस प्रकार कुल 435 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जिलेवार एवं थानेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में है. (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 435 प्रकरणों में 893 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वितरित स्मार्ट कार्ड

21. (*क्र. 13) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्मार्ट कार्ड वितरण के क्या मापदण्ड हैं ? अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में इस मापदण्ड के तहत कितने लोगों को स्मार्ट कार्ड दिया गया है ? कितने लोगों को स्मार्ट कार्ड वितरण शेष है ? (ख) प्रदेश के किन-किन अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड के उपयोग की सुविधा मरीजों को उपलब्ध है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 14959 हितग्राही को स्मार्ट कार्ड दिया गया है. 12,265 लोगों को स्मार्ट कार्ड का वितरण शेष है. अन्य जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

जिला सरगुजा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में व्यय राशि

22. (*क्र. 4) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सरगुजा जिले में वर्ष 2010-11 में कितने-कितने जोड़ों का विवाह कराया गया तथा इसमें कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कन्याओं को उपहार सामग्री में कितने-कितने मूल्य की क्या-क्या सामग्री विभाग द्वारा दी गयी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले में वर्ष 2010-11 में 657 जोड़ों का विवाह कराया गया है. जोड़ों की संख्या तथा धनराशि खर्च की विकासखण्डवार जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला राजनांदगांव में अवैध शराब बिक्री के प्रकरणों पर कार्यवाही

23. (*क्र. 143) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2010 में दिनांक 08-07-10 की स्थिति तक किस-किस स्थान पर अवैध शराब बेचने की कितनी-कितनी शिकायतें, शासन को प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों के आधार पर कितने प्रकरण किस-किस व्यक्ति/संस्था/फर्म के विरुद्ध दर्ज किये गये एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : राजनांदगांव जिला में वर्ष 2010 में दिनांक 08-07-10 तक अवैध शराब विक्रय की 32 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 12 शिकायतों में कार्यवाही करने पर अवैध शराब विक्रय का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, अपितु प्राप्त

12 शिकायतों के संबंध में 12 व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं 36 (ए) के अंतर्गत अवैध मदिरा धारण एवं होटल के प्रकरण दर्ज किये गये हैं. शेष 20 शिकायतों में कार्यवाही करने पर संबंधित व्यक्तियों के यहां मादक पदार्थ प्राप्त न होने से खाली तलाशी का पंचनामा विधिवत् तैयार किया गया है. प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित 30 बिस्तर अस्पताल में स्वीकृत तथा रिक्त पद

24. (*क्र. 165) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के सरायपाली में 30 बिस्तर अस्पताल हेतु स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी 30 जून, 2010 की स्थिति में बतायें ? (ख) उक्त अस्पताल के बाउंड्रीवाल एवं स्टॉफ क्वार्टर्स हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है ? (ग) सरायपाली स्थित 30 बिस्तर अस्पताल में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी तथा अस्पताल कब से प्रारंभ हो जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) उक्त अस्पताल के बाउंड्रीवाल हेतु रुपये 8 लाख स्वीकृत एवं स्टॉफ क्वार्टर्स हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं है. बाउंड्रीवाल का कार्य पूर्ण हो गया है. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

एक्सपायरी हुई दवाईयों के निपटारे हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

25. (*क्र. 202) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल कितने रुपये की दवाईयां क्रय की गई हैं ? उक्त वित्तीय वर्ष में क्रय की गई दवाईयों में से क्या कोई दवाई एक्सपायर भी हुई है ? यदि हां तो, कितने रुपये की दवाई एक्सपायरी हुई है ? (ख) एक्सपायरी हुई दवाईयों के निपटारा हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रुपये 27,69,75,031-91 की दवाईयां क्रय की गईं. जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जैजैपुर क्षेत्र में संचालित भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

1. (क्र. 85) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उप केन्द्र संचालित हैं ? (ख) क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों या उप केन्द्रों में स्वयं का भवन उपलब्ध है यदि नहीं तो, भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उप केन्द्र कितने हैं भवनविहीन केन्द्रों को भवन की सुविधा कब तक प्रदान करेंगे ? (ग) क्या जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में नया आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उप केन्द्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ? यदि हां तो, कब तक ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 04 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) जी नहीं, 114 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 04 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत नहीं है. भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जी हां, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ किए जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

छ. ग. फार्मसी कौंसिल में सदस्यों के नामांकन संबंधी शिकायतों की जांच

2. (क्र. 188) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ फार्मसी कौंसिल का गठन कब किया गया तथा इसमें कितने सदस्य राज्य शासन द्वारा नामांकित किए गए हैं ? इन सदस्यों के नाम, पता एवं योग्यता की जानकारी दें ? (ख) क्या सदस्यों का नामांकन फार्मसी एक्ट 1948 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नहीं किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो, शिकायत किसके द्वारा की गई ? जांच किसके द्वारा की गई तथा जांच में क्या तथ्य पाए गए ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दिनांक 09-10-2003 को छत्तीसगढ़ फार्मसी कौंसिल का गठन किया गया. शासन द्वारा पांच सदस्यों का नाम नामांकित किये गये हैं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बाल्को, कोरबा द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

3. (क्र. 189) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.न.-5328/1996 में दिनांक 06-02-2009 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के डबल बैंच में किए गए अपील एवं उसमें दिनांक 25-02-2010 को पारित आदेश के विरुद्ध क्या शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है ? (ख) यदि हां तो, कब एवं अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, अपील नहीं करने का क्या कारण है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रकरण में गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील न करने का निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में नक्सली वारदातों में शहीदों के परिजनों को प्रदत्त सहायता राशि

4. (क्र. 240) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2010 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रदेश में नक्सली हमले एवं मुठभेड़ की कितनी घटनाएं हुई हैं ? दिनांक व स्थानवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक “क” के तहत हुई घटनाओं में कितने-कितने संख्या में सी.आर.पी.एफ. व छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान व अधिकारी शहीद हुए हैं ? घटनावार शहीद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या बतावें ? क्या इन हमलों व मुठभेड़ में ग्रामीणों के भी मारे जाने की जानकारी है ? यदि हां तो, कितनी संख्या में ? घटनावार जानकारी दें ? (ग) नक्सली हमलों से शहीद जवानों के परिजनों को कितनी सहायता राशि दी जा चुकी है ? कितने का भुगतान लंबित है ? यदि लंबित है तो कारण बतावें ? (घ) क्या प्रश्नांकित अवधि में नक्सली वारदातों के शिकार जवानों के परिजन को शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है ? यदि हां तो, जानकारी दें ? कितने परिजनों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में नक्सली हमले एवं मुठभेड़ की 256 घटनाएं हुई हैं. दिनांक व स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “क” पर है. (ख) प्रश्नांक “क” के तहत हुई घटनाओं में सीआरपीएफ के 113, एसएसबी 01 व छत्तीसगढ़ पुलिस के 18, एसपीओ 12 तथा नगर सैनिक 01 कुल 145 जवान व अधिकारी शहीद हुए हैं. इन हमलों व मुठभेड़ में 84 ग्रामीण

एवं 02 शासकीय कर्मचारी भी मारे गये हैं. घटनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ख” पर है. (ग) नक्सली हमलों में शहीद 90 जवानों के परिजनों को 414 लाख रुपये एक्सग्रेसिया राशि एवं 68 शहीद जवानों के परिजन को 688.25 लाख रुपये बीमा राशि तथा शहीद 08 एसपीओ के परिजनों को 40 लाख रुपये सहायता राशि दी जा चुकी है. 42 शहीद जवानों के परिजनों को एक्सग्रेसिया राशि एवं 64 शहीद जवानों के परिजनों को बीमा राशि एवं 04 एसपीओ व 01 नगर सैनिक के परिजनों को सहायता राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है. (घ) प्रश्नांकित अवधि में नक्सली वारदातों के शिकार जवानों में से छत्तीसगढ़ पुलिस के 18 शहीद जवानों में से 01 जवान के परिजन को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है. 17 प्रकरण प्रक्रियाधीन है एवं 114 केन्द्रीय सुरक्षाबल के शहीद जवानों के प्रकरण केन्द्र सरकार से संबंधित है.

राज्य में निःशक्तजनों हेतु गृह व्यवस्था

5. (क्र. 263) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** (डॉ. श्रीमती रेणु जोगी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कुल कितने निःशक्तजनों (बहु विकलांग व मानसिक विकलांग) हेतु कितने गृह हैं और कहां-कहां हैं ? क्षमता सहित जानकारी दें. (ख) रायपुर के माना स्थित बहुविकलांग गृह एवं मानसिक विकलांग गृह कब स्थापित किए गए थे ? 30 जून, 2010 की स्थिति में उक्त गृह में कुल कितने निःशक्तजनों को रखा गया है ? क्रमशः मूक बधिर, दृष्टिहीन, अन्य विकलांग व मानसिक रूप से विकलांगों की संख्या पृथक-पृथक बतावें. (ग) राज्य शासन द्वारा उपरोक्त गृहों में प्रतिव्यक्ति (निःशक्तजन) कितना मासिक व्यय किन-किन कार्यों हेतु किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) राज्य में निःशक्तजनों (बहु विकलांग व मानसिक विकलांग) हेतु 22 गृह हैं. क्षमता सहित सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” अनुसार. (ख) रायपुर में माना स्थित बहु विकलांग गृह सन् 1992 तथा मानसिक विकलांग गृह सन् 1981 में स्थापित किये गये थे. 30 जून 2010 की स्थिति में उक्त गृह में कुल 31 निःशक्तजनों को रखा गया है. क्रमशः मूक बधिर, दृष्टिहीन, अन्य विकलांग व मानसिक रूप से विकलांगों की संख्या † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है. (ग) राज्य शासन द्वारा उपरोक्त गृहों में प्रति व्यक्ति (निःशक्तजन) † संलग्न प्रपत्र “द” अनुसार व्यय विभिन्न कार्यों पर किया जाता है.

एड्स के प्रति जागरूकता हेतु एन.जी.ओ. को प्रदत्त कार्य तथा राशि

6. (क्र. 280) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में वर्ष 2008-2009, 2009-2010 में एड्स के कितने मरीज मिले हैं, जिलेवार संख्या देकर यह बतायें कि इनकी चिकित्सा के लिए कहां-कहां पर चिकित्सालय हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि एड्स की बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कार्य करने हेतु एन.जी.ओ. का चयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां तो, वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 में कौन-कौन से एन.जी.ओ. को किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी है ? एवं उन्हें मुख्य रूप से क्या-क्या कार्य करना था ? (ग) क्या प्रश्न (ख) के एन.जी.ओ. को दिये गये कार्यों की समीक्षा, परीक्षण विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया ? यदि हां तो क्या किसी एन.जी.ओ. के विरुद्ध ठीक से कार्य नहीं करने पर कोई कार्यवाही की गई है ? कृपया नाम सहित विवरण दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) जी हां. एच.आई.वी./एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नाको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप केवल वर्ष 2008-2009 में 23 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है एवं वर्ष 2009-10 में 02 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है. जिलेवार एन.जी.ओ. को प्रदत्त आवंटन निम्नानुसार है. (†† संलग्न प्रपत्र “ब”) एन.जी.ओ. मुख्यतः निम्न कार्य कर रहे हैं :—

1. यौनजनित संक्रमण का उपचार एवं प्रबंधन
2. समुदायिक गतिशीलता
3. संदर्भ एवं जुड़ाव
4. निरोध प्रोत्साहन
5. सक्षम वातावरण निर्माण
6. व्यवहार परिवर्तन संचार

(ग) जी हां. एक स्वयंसेवी संस्था को निरीक्षण के दौरान कार्य न करने के दौरान कार्य से पृथक कर दिया गया है. संस्थाओं के नाम †† संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरगुजा जिले में रेडी टू इट योजना अंतर्गत सामग्री का उत्पादन

1. (क्र. 5) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में रेडी टू इट योजना अंतर्गत सरगुजा जिले में कितने समूहों द्वारा, कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन सामग्री का उत्पादन किया जा रहा है ? समूहों का नाम स्थान सहित जानकारी दें ? (ख) किन-किन समूहों द्वारा कौन-कौन से केन्द्रों को कितनी-कितनी मात्रा में सामग्री का प्रदाय किया जा रहा है ? (ग) समूहों को भुगतान की क्या प्रक्रिया है ? कब तक का भुगतान किया जा चुका है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है. (ग) रेडी टू इट फूड निर्माण करने वाले महिला स्व सहायता समूह के देयकों का संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी के सत्यापन उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास द्वारा जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला कोषालय से राशि आहरण कर समूह के नाम से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक तैयार कर सीधे समूहों को जिला स्तर से भुगतान किया जाता है. स्व सहायता समूहों को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में उद्योगों के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि

2. (क्र. 25) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन गांवों में कौन-कौन से उद्योगों के नाम पर कितनी परिवर्तित/डायवर्टेड भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ? (ख) इन उद्योगों से प्रतिवर्ष कितना डायवर्सन टैक्स लिया जाता है ? किन-किन उद्योगों पर कितनी राशि दिनांक 30-06-2010 तक बकाया है और इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) विधान सभा अकलतरा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित उद्योगों के नाम से परिवर्तित भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है :—

- (1) तहसील बलौदा के ग्राम हरदीविशाल में कुल ख. नं. 96 रकबा 27.72 एकड़ भूमि एन.टी.पी.सी. सीपत बिलासपुर के नाम पर दर्ज है.
 - (2) तहसील अकलतरा में रेमण्ड सीमेन्ट वर्क्स आरसमेटा के नाम पर ग्राम अकलतरा, पकरिया, आरसमेटा, परसदा, मुरलीडीह एवं अमोरा में कुल 414.38 एकड़ तथा मेसर्स वर्धा पॉवर प्लांट प्रा. लिमिटेड नरियरा के नाम पर ग्राम नरियरा, तरौद, रौगदा, अमोरा एवं मुरलीडीह में कुल 933.97 एकड़ परिवर्तित भूमि दर्ज है. केपटीव पावर प्लांट गोपाल नगर आरसमेटा के नाम पर 6.47 एकड़ एवं सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया अकलतरा के नाम पर 140.76 एकड़ भूमि है. अजन्ता उद्योग केन्द्र अकलतरा के नाम पर 27.81 एकड़ भूमि है तथा के.व्ही.के. बायो पॉवर प्लांट अमरताल किरारी के नाम पर 12.38 एकड़ परिवर्तित भूमि दर्ज है.
- (ख) (1) एन.टी.पी.सी. सीपत के नाम पर वार्षिक पु.नि. रुपये 72516.00 निर्धारित किया गया है बकाया नहीं है.
- (2) रेमण्ड सीमेन्ट वर्क्स आरसमेटा का डायवर्सन वार्षिक निर्धारण रुपये 43622.00 किया गया बकाया रुपये 345240.00 है. बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है. मेसर्स वर्धा पॉवर प्लांट प्रा. लि. नरियरा का डायवर्सन निर्धारण रुपये 3823735.00 है. बकाया नहीं है. केपटीव पावर प्लांट गोपाल नगर आरसमेटा का डायवर्सन निर्धारण रुपये 7135.00 है तथा बकाया नहीं है. सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया अकलतरा का डायवर्सन निर्धारण रुपये 110367.00 बकाया राशि रुपये 3862645.00 है. कंपनी बन्द हो चुकी है. अजन्ता उद्योग अकलतरा डायवर्सन निर्धारण रुपये 49784.00 बकाया रुपये 1991396.00 है वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के न्यायालय में प्रकरण लंबित है. के.वी.के. पॉवर प्लांट अमरताल, किरारी का निर्धारण रुपये 80698.00 है. बकाया राशि रु. 565975.00 है. वसूली की कार्यवाही की जा रही है.

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण संबंधी

3. (क्र. 59) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए कुल कितनी भूमि राजस्व विभाग से किस किस्म की ली गई है ? (ख) भवन निर्माण कार्य हेतु किस एजेंसी से कितनी लागत पर किन-किन भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ? (ग) रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष की पढ़ाई किस वर्ष से प्रारंभ करने के लिए लक्ष्य रखा गया है और केन्द्र सरकार से अनुमति लेने के लिए क्या-क्या पत्राचार किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु कुल 16.186 हेक्टेयर पड़ती भूमि राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई है. (ख) निर्माण एजेंसी मेसर्स रामके इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैदराबाद. लागत रुपये 106.35 करोड़. निर्माणाधीन भवनों का विवरण परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) भारत सरकार के नियमानुसार कॉलेज परिसर में 300 बिस्तरीय अस्पताल होने पर चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी जाती है. अस्पताल भवन अभी निर्माणाधीन है. फलस्वरूप प्रथम वर्ष की पढ़ाई किस वर्ष से प्रारंभ होगी, समय-सीमा बताना संभव नहीं है. अस्पताल भवन निर्माण होने पर भारत सरकार से अनुमति के लिये पत्राचार किया जावेगा.

प्रदेश में स्थापित पुलिस थानों एवं चौकी में रिक्त पदों की पूर्ति

4. (क्र. 90) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी स्थापित हैं, जिलेवार बतायें ? (ख) प्रदेश में स्थापित पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में स्वीकृत पद कितने हैं एवं उसके विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी कितने हैं ? (ग) प्रदेश में स्थापित पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में कुल 356 पुलिस थाना एवं 95 पुलिस चौकी स्थापित है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) प्रदेश में स्थापित पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में स्वीकृत पद एवं उपलब्ध बल की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) प्रदेश में स्थापित थानों/चौकी के स्वीकृत बल के विरुद्ध रिक्त बलों की पूर्ति हेतु भर्ती की कार्यवाही की जा रही है.

सहकारिता विभाग में सेटअप की स्वीकृति तथा उप रजिस्ट्रार के स्वीकृत पद

5. (क्र. 120) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य निर्माण के बाद सहकारिता विभाग में सेटअप कब स्वीकृत हुआ ? (ख) स्वीकृत सेटअप में उप रजिस्ट्रार के कितने पद किस आधार पर स्वीकृत कराए गए ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) राज्य निर्माण के बाद सहकारिता विभाग में सेटअप दिनांक 19-6-2002 एवं 22-9-2004 को स्वीकृत किया गया. (ख) स्वीकृत सेटअप में मुख्यालय हेतु उप रजिस्ट्रार के 4 पद एवं मैदानी कार्यालय हेतु उप रजिस्ट्रार के 10 पद स्वीकृत कराये गये. निर्धारित मापदण्ड † संलग्न परिशिष्ट पर है.

राजिम विधान सभा क्षेत्र के विकासखंडों में सिंचित एवं असिंचित भूमि का रकबा

6. (क्र. 137) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजिम विधान सभा क्षेत्र में छुरा, गरियाबंद, फिंगेश्वर (राजिम) ब्लाक के अंतर्गत ग्राम पंचायतवार कितने प्रतिशत भूमि सिंचित एवं कितनी भूमि असिंचित है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

जिला राजनांदगांव में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र तथा “रेडी टू ईट” आहार का वितरण

7. (क्र. 144) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के छुरिया एवं चौकी विकासखंड में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन गर्भवती महिला, बालक, बालिका एवं युवती को कितने कैलोरी पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है ? (ख) पौष्टिक आहार में क्या-क्या सामग्री प्रदान की जाती है ? क्या “रेडी टू ईट” पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या सामग्री प्रदान की जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) राजनांदगांव जिले के छुरिया एवं चौकी विकासखण्ड में क्रमशः 226 एवं 148 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं, 6 माह से 6 वर्ष आयु के बालकों एवं बालिकाओं को प्रतिदिन के मान से प्रदान किये जाने वाले पूरक पोषण आहार एवं उसमें शामिल कैलोरी का विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां, रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। हितग्राहियों को प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार का विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

जिला राजनांदगांव में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर स्वीकृत एवं व्यय राशि

8. (क्र. 145) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010 में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग को कितना आवंटन शासन से प्राप्त हुआ था और उक्त आवंटन में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : राजनांदगांव जिले को वर्ष 2010 में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर हेतु रुपये 50,000/- आवंटन दिया गया था। उक्त आवंटन में से निम्नांकित मद में निम्नानुसार राशि व्यय की गई :—

क्रमांक (1)	मद (2)	व्यय की गई राशि (3)
1.	पानी	995
2.	प्रमाण-पत्र	2400
3.	चूना	1500
4.	नास्ता	5000
5.	फोटोग्राफी	810
6.	साउन्ड व्यवस्था	800
7.	बैनर	3200
8.	फूलमाला	400
9.	टेन्ट व्यवस्था	3955
10.	प्रशिक्षक मानदेय	10000
11.	खेल सामग्री	20940
योग		50000

स्मार्ट कार्ड योजना के तहत चिकित्सा हेतु अनुमोदित दरें तथा लंबित भुगतान

9. (क्र. 148) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्मार्ट कार्ड योजना अंतर्गत प्रदेश के किन-किन निजी चिकित्सकों को मान्यता प्रदान की गई है ? (ख) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सालयवार किन-किन चिकित्सा के लिए कितनी-कितनी दरें अनुमोदित हैं ? (ग) 3 जुलाई 2010 की स्थिति में निजी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत किये गये ईलाज का कुल कितना भुगतान शेष है ? निजी अस्पतालवार जानकारी प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) किसी निजी चिकित्सक को नहीं। (ख) चिकित्सालयवार दरें अनुमोदित नहीं होती विभिन्न चिकित्सा के लिये अनुमोदित दरें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार। (ग) रुपये 1,76,88,845.00 भुगतान शेष। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार।

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को भुगतान

10. (क्र. 149) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना, सुखद सहारा योजना के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या कितनी है ? पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ख) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 एवं 5 जुलाई, 2010 में उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को पेन्शन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नहीं किया गया ? वर्षवार एवं माहवार जानकारी प्रदान करें। (ग) यदि 10 तारीख तक भुगतान नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) पंचायतवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है। (ख) वर्षवार एवं माहवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है। (ग) कोषालय द्वारा देयक में आपत्ति लगाये जाने से राशि आहरण में विलंब होने के कारण विलंब से भुगतान किया गया।

भाटापारा अनुभाग में सड़क दुर्घटना के दर्ज प्रकरण

11. (क्र. 157) **श्री चैतराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2009 से 05-07-10 तक रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग में सड़क दुर्घटना के कुल कितने प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज किये गये हैं ? थानावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश “क” के तहत घटित घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई तथा कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए, दुर्घटना में मृत एवं घायल लोगों (नाम पता सहित) को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई।

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जनवरी 2009 से दिनांक 05-07-10 तक रायपुर जिले के भाटापारा पुलिस अनुभाग के अंतर्गत क्रमशः थाना भाटापारा शहर में 42, थाना भाटापारा ग्रामीण में 63, थाना सिमगा में 247, थाना नेवरा में 87 एवं थाना सुहेला में 32 इस प्रकार कुल 471 प्रकरण, सड़क दुर्घटना के दर्ज किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कुल 471 सड़क दुर्घटनाओं में 113 लोगों की मृत्यु हुई है, तथा 358 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना में 03 मृत एवं 01 गंभीर रूप से घायल को सहायता राशि प्रदान की गयी है। सहायता राशि प्राप्त करने वालों का नाम, पता एवं सहायता राशि की जानकारी विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में है।

प्रदेश में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति

12. (क्र. 176) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 30-6-2010 की स्थिति में आरक्षक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं ? जिलेवार बतायें। (ख) दिनांक 01-1-2008 के बाद कुल कितने आरक्षकों की भर्ती की गई ? (ग) आरक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है। (ख) दिनांक 01-01-2008 के बाद कुल 6990 आरक्षकों की भर्ती की गई है। (ग) वर्ष 2010 में 1049 पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाकर चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण संबंधी कार्यवाही की जा रही है। आरक्षक के 735 पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्त पदों के भरने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

खेल संघों एवं संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान तथा संपन्न प्रतियोगिताएं

13. (क्र. 177) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 से 2009-10 में किन-किन खेलों के लिये किन-किन खेल संघों एवं संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान जारी किया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” के जारी अनुदान से कौन-कौन से खेल संपन्न कराये गये एवं कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार खेलवार बतायें ? (ग) क्या उक्त वर्षों में जारी अनुदान का समायोजन कर लिया गया है ? यदि नहीं तो, किसका-किसका शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है। (ग) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

“रेडी टू ईट” योजना के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हितग्राहियों को लाभ न मिलने की प्राप्त शिकायतों की जांच

14. (क्र. 198) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) “रेडी टू ईट” योजना प्रारंभ होने के बाद से किन-किन एन.जी.ओ./फर्मों को कौन-कौन से कार्य दिये गये हैं ? जिलेवार एन.जी.ओ./फर्म का नाम, पता तथा पंजीयन क्रमांक की जानकारी दें ? (ख) “रेडी टू ईट” योजना के निर्धारित मापदण्ड अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किए जाने की क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो किस-किस जिले की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ग) क्या उक्तानुसार प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई है ? यदि हां तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) आंगनबाड़ी केन्द्रों में “रेडी टू ईट” फूड प्रदाय का कार्य मुख्य रूप से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है. नारायणपुर जिले के बाल विकास परियोजना ओरछा एवं कोरिया जिले के बाल विकास परियोजना चिरमिरी में “रेडी टू ईट” फूड प्रदाय का कार्य एन.जी.ओ. द्वारा किया जा रहा है. किसी फर्म द्वारा “रेडी टू ईट” प्रदाय का कार्य नहीं किया जा रहा है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां. इस संबंध में बिलासपुर, रायगढ़ एवं दुर्ग जिले में शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ग) जी हां. शिकायतों की जांच परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई है.

नक्सली हमलों के शहीदों/मृतकों के आश्रितों को दिया गया मुआवजा

15. (क्र. 199) **श्री रविन्द्र चौबे** (श्री हृदयराम राठिया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01-01-2004 से 30-06-2010 में कितने नक्सली हमले कब-कब, कहां-कहां हुये ? जिलेवार संख्या बतावें ? (ख) उक्त नक्सली हमलों में शहीद सुरक्षा बल तथा आम नागरिकों की संख्या की जानकारी दें ? (ग) उक्त नक्सली हमलों में मृत लोगों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया ? तथा कितने आश्रितों को शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

लैलूंगा वि. स. क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना

16. (क्र. 203) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? (ख) कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना है तथा कितने रिक्त हैं ? (ग) रिक्त जगहों में चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. (ख) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक पदस्थ हैं परन्तु 06 पद रिक्त हैं. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पटवारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

17. (क्र. 209) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल पलारी एवं विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन अन्तर्गत आर.आई. एवं पटवारियों के कहां-कहां पर कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कहां-कहां पर कौन-कौन तथा कब-कब से पदस्थ हैं एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के लिए स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

निम्नानुसार है. राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों की सूची † संलग्न परिशिष्ट में है :—

क्र.	पदनाम	विकासखण्ड/आर.आई. सर्किल का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजस्व निरीक्षक	कसडोल	02	02	-
		पलारी	02	02	-
		लवन	01	01	-
		योग	05	05	-

क्र.	पदनाम	विकासखण्ड/आर.आई. सर्किल का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पटवारी	कसडोल	32	21	11
		पलारी	34	19	15
		लवन	18	13	05
		योग	84	53	31

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ आपदा कोष से स्वीकृत राशि तथा कार्यों की स्थिति

18. (क्र. 210) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010 (30 जून, 2010 तक) में विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत बाढ़ राहत कोष से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए कहां-कहां पर कब-कब स्वीकृत हुई ? स्वीकृत हुए कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि पूर्ण नहीं हुए हैं तो, अपूर्णता का कारण गांव के नाम सहित जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010 (30 जून 2010 तक) में विकासखण्ड पलारी एवं विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत बाढ़ राहत कोष से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं. वित्तीय वर्ष 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल के अन्तर्गत 01 कार्य लागत राशि रुपये 24.94 लाख की स्वीकृति दी गई. उक्त कार्य रुपये 24.20 लाख व्यय कर पूर्ण किया गया है. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. वित्तीय वर्ष 2010-11 (30 जून, 2010 तक) विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल के अन्तर्गत 98 कार्य लागत राशि रु. 2.516 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं. उक्त 98 कार्य दिनांक 22-6-2010 को स्वीकृत होने के कारण प्रगति पर है. अभी तक 15.09 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित पोषक आहार

19. (क्र. 221) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 01-01-09 से 31-03-10 की स्थिति में कितने बच्चों को कितनी राशि का पोषण आहार दिया गया है ? विकासखण्डवार एवं माहवार जानकारी दें ? (ख) क्या उक्त अवधि में पोषण आहार आंगनबाड़ी केन्द्रों तक समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत संबंधित विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां तो, क्या कार्यवाही की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बीजा अवधि समाप्त पश्चात् प्रदेश में निवासरत विदेशी नागरिकों पर कार्यवाही

20. (क्र. 238) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पड़ोसी देशों से विगत पांच वर्षों में कितने लोग बीजा आधार पर आए हैं ? सूची (देश अनुसार) उपलब्ध कराएं ? क्या बीजा अवधि पर आए हुए सभी लोग बीजा अवधि समाप्त होने पर अपने देश लौट गए हैं ? यदि हां तो, कब और यदि नहीं, तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पड़ोसी देशों से विगत पांच वर्षों में † संलग्न परिशिष्ट अनुसार कुल 4972 विदेशी नागरिक बीजा आधार पर आए हैं. जिनमें से 3971 विदेशी नागरिक बीजा अवधि समाप्त होने के पूर्व पृथक-पृथक समय पर अपने देश वापस लौट गये हैं एवं 872 विदेशी नागरिक बीजा अवधि बढ़ाकर निवासरत हैं तथा शेष 129 बीजा अवधि समाप्त होने के पश्चात् निवास वृद्धि प्राप्त किये बिना निवासरत विदेशी नागरिकों के विरुद्ध भारत छोड़ने का नोटिस संबंधित एफआरओ. द्वारा जारी किये गये हैं.

रायगढ़ जिला के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति तथा भवन व्यवस्था संबंधी

21. (क्र. 251) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने-कितने चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विकासखण्डवार एवं स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) रिक्त पदों पर कब तक भर्ती कर ली जाएगी ? (ग) जिले के कितने स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहिन हैं ? इन केन्द्रों के लिए भवन कब तक बना लिये जाएंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 166 चिकित्सक एवं 1337 अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं. चिकित्सक के 97 एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के 368 पद रिक्त हैं. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. (ख) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. (ग) 77 स्वास्थ्य केन्द्र. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिला में कोटवारी भूमि विक्रय संबंधी

22. (क्र. 252) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में प्रश्नांकित अवधि तक कोटवारों द्वारा अपनी कोटवारी जमीन बेचे जाने के कितने प्रकरण हैं ? अलग-अलग थानावार जानकारी दें ? (ख) इन प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कितने लोगों पर जुर्म दर्ज किया गया है ? (ग) क्या रायगढ़ जिलाध्यक्ष को कोटवारी जमीन बेचने हेतु अनुमति बाबत् आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां तो कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? नामवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में कोटवारी भूमि विक्रय किये जाने के 06 प्रकरण हैं जो कोटवार की (माफी भूमि) भूमिस्वामी भूमि है. विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) कलेक्टर रायगढ़ के न्यायालय में प्रश्नांकित अवधि में निम्नांकित 2 कोटवारों द्वारा माफी भूमि से भूमिस्वामी अधिकार में प्राप्त भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है :-

1. तुलादास आत्मज धनीदास ग्राम सरवानी तहसील रायगढ़.
2. गोकुल सारथी आत्मज बुलू सारथी ग्राम गुडू तहसील पुसौर.

रायपुर, कबीरधाम एवं कोरबा जिले में आवंटित भूमि

23. (क्र. 266) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, कबीरधाम एवं कोरबा जिले में वर्ष 2009 एवं 2010 में किनको-किनको, कितनी-कितनी भूमि किस दर में कहां-कहां, किन-किन कार्यों हेतु कब-कब आवंटित की गई है ? (ख) क्या उक्त आवंटन प्राप्त कर्ताओं को भूमि का अग्रिम आधिपत्य/आधिपत्य प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां तो, किनको-किनको ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जिला बिलासपुर में आंत्रशोध, डायरिया से हुई मौतें तथा इसके रोकथाम संबंधी

24. (क्र. 283) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर में माह मई, 2010 से लेकर 05 जुलाई, 2010 के मध्य कौन-कौन से शहर एवं गांव में आंत्रशोध, डायरिया का प्रकोप हुआ ? कितने पीड़ित हुये ? कितने की इससे मौत हुई ? (ख) बिलासपुर जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वा. केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं अन्य पद कितने स्वीकृत हैं एवं 05 जुलाई, 2010 की स्थिति में कितने डॉक्टर एवं अन्य पदस्थ हैं कितने पद रिक्त हैं विकासखण्डवार विवरण दें ? (ग) क्या प्रश्न (क) में पूछे गये आंत्रशोध, डायरिया की रोकथाम हेतु प्रत्येक ग्राम में दवाईयों के शीघ्र वितरण हेतु डिपो होल्डर बना दिये गये हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला बिलासपुर अंतर्गत बिलासपुर शहर, देवरीखुर्द, सिरगिट्टी, मंगला, यदुनंदन, सकरी, देवरीडीह, बाम्हू, बनियाडीह, हाफा, मटियारी, सीपत, बम्हनी, सोनलोहर्सी, सरसेनी, कोनी, ढेका, अण्डा, लोरमी, पौंडी तथा बहतराई. 845 पीड़ित. 06 की मृत्यु. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) जी हां.

प्रदेश में फाइलेरिया के प्रति जागरूकता एन.जी.ओ. को प्रदत्त कार्य एवं राशि

25. (क्र. 284) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में वर्ष 2008 वर्ष 2009 एवं 05-07-2010 तक फाइलेरिया के कितने मरीज मिले जिलेवार संख्या दें ? (ख) फाइलेरिया की रोकथाम के क्या-क्या उपाय विभाग द्वारा किये जा रहे हैं ? (ग) क्या फाइलेरिया बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु विभाग द्वारा किसी एन.जी.ओ. को कार्य दिया गया है यदि हां तो वर्ष 2008-2009 वर्ष 2009-2010 में किस एन.जी.ओ. को किस जिले में कितनी राशि का कार्य दिया गया है विवरण दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) फाइलेरिया की रोकथाम हेतु वर्ष में एक बार, प्रदेश के फाइलेरिया से ग्रसित जिलों में सामूहिक दवा सेवन कराया जाता है, जिसके अंतर्गत डी.ई.सी. एवं एलबेन्डाजॉल की गोली हितग्राहियों को दी जाती है. फाइलेरिया हाथीपांव रोगी को अन्य जीवाणुओं के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं उपचार प्रबंधन किया जाता है. प्रभावित क्षेत्र में फाइलेरिया का संक्रमण ज्ञात करने के लिये रात्रिकालीन रक्त पट्टी संग्रहित कर फाइलेरिया परजीवी का निदान किया जाता है. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 12) के भाग (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ ”

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

परियोजना/ विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम/वार्ड का नाम	बसाहट/पारे/ टोले का नाम	प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र	
				क्र.	आं. बा. केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदा	चारपारा	चारपारा	टिकरीपारा	1	टिकरीपारा
बलौदा	चारपारा	चारपारा	सड़कपारा	2	सड़कपारा
बलौदा	बछौद	बछौद	लाइनपारा	3	लाइनपारा
बलौदा	महुदा (ब)	महुदा (ब)	खैरवार मोहल्ला	4	खैरवार मोहल्ला
बलौदा	जावलपुर	जावलपुर	शांति नगर	5	शांति नगर
बलौदा	रसौटा	रसौटा	झोझवापारा	6	झोझवापारा
बलौदा	कोरबी	अचानकपुर	मुख्य बस्ती	7	मुख्य बस्ती
बलौदा	डोंगरी	डोंगरी	डगनियापारा	8	डगनियापारा
बलौदा	खैजा	खैजा	नवापारा	9	नवापारा
बलौदा	खैजा	खैजा	बहेरापाली	10	बहेरापाली
बलौदा	हरदी विशाल	हरदी विशाल	भाटापारा	11	भाटापारा
बलौदा	कुरमा	कुरमा	बड़ेबाबापारा	12	बड़ेबाबापारा 2
बलौदा	कुरमा	कुरमा	इमलीपारा	13	इमलीपारा
बलौदा	खिसोरा	खिसोरा	चारपारा (राजेन्द्रनगर)	14	चारपारा (राजेन्द्रनगर)
बलौदा	खिसोरा	खिसोरा	पहरीपारा	15	पहरीपारा
बलौदा	बक्सरा	बक्सरा	सुखाबार	16	सुखाबार
बलौदा	हेड़सपुर	हेड़सपुर	मुड़ापारा	17	मुड़ापारा
बलौदा	गतवा	गतवा	डिपरापारा	18	डिपरापारा
बलौदा	देवरी	देवरी	बरपारा	19	बरपारा
बलौदा	बोकरामुड़ा	टिंगीपुर	टिंगीपुर (स्कूलपारा)	20	टिंगीपुर (स्कूलपारा)
बलौदा	दहकोनी	दहकोनी	भाठापारा	21	भाठापारा
बलौदा	पहरिया	गोवाबंद	रोडपारा	22	रोडपारा
बलौदा	खोहा	उस्लापुर	बस्तीपारा	23	बस्तीपारा
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	द्रोणाचार्य वार्ड क्र. 01	24	द्रोणाचार्य वार्ड क्र. 01
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	चंद्रशेखर वार्ड क्र. 03	25	चंद्रशेखर वार्ड क्र. 03
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	तात्या टोपे वार्ड क्र. 05	26	तात्या टोपे वार्ड क्र. 05
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	महाराणा प्रताप वार्ड क्र. 06	27	महाराणा प्रताप वार्ड क्र. 06
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	सुभाष चंद्रबोस वार्ड क्र. 07	28	सुभाष चंद्रबोस वार्ड क्र. 07
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	महात्मा गांधी वार्ड क्र. 08	29	महात्मा गांधी वार्ड क्र. 08
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	भीमराव अंबेडकर वार्ड क्र. 09	30	भीमराव अंबेडकर वार्ड क्र. 09
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्र. 10	31	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्र. 10
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	वीर सावरकर वार्ड क्र. 11	32	वीर सावरकर वार्ड क्र. 11
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	रानी दुर्गावती वार्ड क्र. 12	33	रानी दुर्गावती वार्ड क्र. 12
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	रानी दुर्गावती वार्ड क्र. 12	34	रानी दुर्गावती वार्ड क्र. 12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा		35	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्र. 13.
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा		36	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्र. 13.
बलौदा	नगर पंचायत बलौदा	बलौदा	भगत सिंह वार्ड क्र. 14	37	भगत सिंह-1
योग				37	
अकलतरा	तरौद	तरौद	सड़कपारा	1	सड़कपारा
अकलतरा	किरारी	किरारी	भाठापारा	2	भाठापारा
अकलतरा	किरारी	किरारी	भैनापारा	3	भैनापारा
अकलतरा	पकरिया (झू)	पकरिया (झू)	नेवरियापारा	4	नेवरियापारा
अकलतरा	पकरिया (झू)	पकरिया (झू)	यादवपारा	5	यादवपारा
अकलतरा	झलमला	झलमला	अंवारपारा	6	अंवारपारा
अकलतरा	बनाहिल	बनाहिल	चट्टानपारा	7	चट्टानपारा
अकलतरा	नरियरा	नरियरा	लुदियापारा	8	लुदियापारा
अकलतरा	नरियरा	नरियरा	डोंगिहापारा	9	डोंगिहापारा
अकलतरा	सोनसरी	सोनसरी	पुरेनापारा	10	पुरेनापारा
अकलतरा	सोनसरी	सोनसरी	स्कूलपारा	11	स्कूलपारा
अकलतरा	मुरलीडीह	मुरलीडीह	आवासपारा	12	आवासपारा
अकलतरा	मुरलीडीह	रोगदा	बस्तीपारा	13	बस्तीपारा
अकलतरा	आरसमेटा	आरसमेटा	दुर्गा चौक	14	दुर्गा चौक
अकलतरा	परसदा (रे)	परसदा (रे)	तीन दर्शन मंदिर	15	तीन दर्शन मंदिर
अकलतरा	करूमहू	करूमहू	गुड़ीपारा	16	गुड़ीपारा
अकलतरा	करूमहू	करूमहू	गुड़ीपारा	17	गुड़ीपारा
अकलतरा	अर्जुनी	अर्जुनी	भाठापारा	18	भाठापारा
अकलतरा	अर्जुनी	अर्जुनी	रावण चौक	19	रावण चौक
अकलतरा	रसेड़ा	रसेड़ा	नहरपारा	20	नहरपारा
अकलतरा	पकरिया (ल)	पकरिया (ल)	बस्तीपारा	21	बस्तीपारा
अकलतरा	लटिया	लटिया	डिपरीपारा	22	डिपरीपारा
अकलतरा	कल्याणपुर	कल्याणपुर	फाटकपारा	23	फाटकपारा
अकलतरा	कोटमीसोनार	कोटमीसोनार	गोंडपारा	24	गोंडपारा
अकलतरा	कोटमीसोनार	कोटमीसोनार	स्टेशनपारा	25	स्टेशनपारा
अकलतरा	कोटमीसोनार	कोटमीसोनार	भाठापारा	26	भाठापारा
अकलतरा	कोटमीसोनार	कोटमीसोनार	बाजारपारा	27	बाजारपारा
अकलतरा	पिपरसत्ती	पिपरसत्ती	सोनवर्षा	28	सोनवर्षा
अकलतरा	पिपरसत्ती	पिपरसत्ती	गड़ोरीपारा	29	गड़ोरीपारा
अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	गजानंद चौक	30	गजानंद चौक
अकलतरा	मधुवा	मधुवा	ठाकुरदेवपारा	31	ठाकुरदेवपारा
अकलतरा	फरहदा	फरहदा	हरिजनपारा	32	हरिजनपारा
अकलतरा	चंगोरी	चंगोरी	पटेलपारा	33	पटेलपारा
अकलतरा	सोनादुला	सोनादुला	सतनामीपारा	34	सतनामीपारा
अकलतरा	पिपरदा	चंदनिया	मंदिरपारा	35	मंदिरपारा
अकलतरा	कटघरी	कटघरी	नायकपारा	36	नायकपारा
अकलतरा	पोंड़ी दल्हा	पोंड़ी दल्हा	पानी टंकी	37	पानी टंकी
अकलतरा	पोंड़ी दल्हा	पोंड़ी दल्हा	हरिजन मुहल्ला	38	हरिजन मुहल्ला
अकलतरा	परसाहीनाला	परसाहीनाला	तेंदुआपारा	39	तेंदुआपारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अकलतरा	खटोला	खटोला	सिंग दरवाजा	40	सिंग दरवाजा
अकलतरा	खटोला	खटोला	डीपरापारा	41	डीपरापारा
अकलतरा	बरगवां	बरगवां	कंवरपारा	42	कंवरपारा
अकलतरा	कोटगढ़	कोटगढ़	सड़कपारा	43	सड़कपारा
अकलतरा	पचरी	पचरी	हरिजनपारा	44	हरिजनपारा
अकलतरा	बम्हनी	बम्हनी	स्कूलपारा	45	स्कूलपारा
अकलतरा	पड़रिया	पड़रिया	कंवरपारा	46	कंवरपारा
अकलतरा	परसाही (बाना)	परसाही (बाना)	सड़कपारा	47	सड़कपारा
अकलतरा	बुचीहरदी	बुचीहरदी	पहरीपारा	48	पहरीपारा
अकलतरा	भैंसतरा	भैंसतरा	डीहपारा	49	डीहपारा
अकलतरा	कापन	कापन	भांठापारा	50	भांठापारा
अकलतरा	तिलई	तिलई	ठाकुरदियापारा	51	ठाकुरदियापारा
अकलतरा	तिलई	तिलई	चण्डीपारा	52	चण्डीपारा
अकलतरा	पौना	पौना	दुर्गा मंच	53	दुर्गा मंच
अकलतरा	तागा	तागा	यादवपारा	54	यादवपारा
अकलतरा	नगर पंचा. अकलतरा	अकलतरा	राजेन्द्र कुमार सिंह वार्ड-4	55	राजेन्द्र कुमार सिंह वार्ड-4
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	शहीद असफाक उल्ला वार्ड-5	56	शहीद असफाक उल्ला वार्ड-5
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	शहीद भगत सिंह वार्ड-6	57	शहीद भगत सिंह वार्ड-6
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर	58	ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर वार्ड-7
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	नेताजी सुभाष वार्ड-8	59	नेताजी सुभाष वार्ड-8
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	महात्मा गांधी वार्ड-9	60	महात्मा गांधी वार्ड-9
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड-11	61	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड-11
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	चंद्रशेखर आजाद वार्ड-13	62	चंद्रशेखर आजाद वार्ड-13
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	इंदिरा वार्ड-15	63	इंदिरा वार्ड-15
अकलतरा	नगर पंचा.	अकलतरा	महाराणा प्रताप वार्ड-16	64	महाराणा प्रताप वार्ड-16
योग				64	
महायोग				101	

प्रपत्र "ब"

2010-11 हेतु जांजगीर जिले के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भवनों की जानकारी

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	ग्राम का नाम (4)	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम (5)
1.	अकलतरा	तरौद	तरौद	तरौद 3
2.		नरियरा	नरियरा	नरियरा 6
3.		नरियरा	नरियरा	नरियरा 7
4.		नरियरा	नरियरा	नरियरा 8
5.		रोगदा	रोगदा	रोगदा 2
6.		अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी 3
7.		कल्याणपुर	दरीटाड़	दरीटाड़
8.		कोटमीसोनार	कोटमीसोनार	कोटमीसोनार 4
9.		कोटमीसोनार	कोटमीसोनार	कोटमीसोनार 5
10.		कटघरी	कटघरी	कटघरी 1
11.		कटघरी	कटघरी	कटघरी 3
12.		पचरी	पचरी	पचरी
13.		बम्हनी	बम्हनी	बम्हनी
14.		बाना	बाना	बाना
15.		सुवरमाल	सुवरमाल	सुवरमाल
16.		तागा	तागा	तागा
17.		बरगंवा	महमदपुर	महमदपुर
			योग	17
18.	बलौदा	केराकछार	केराकछार	केराकछार
19.		करमा	खारी	खारी
20.		बेलटुकरी	बेलटुकरी	बेलटुकरी
21.		औराईखुर्द	औराईखुर्द	औराईखुर्द
22.		डोंगरी	डोंगरी	डोंगरी
23.		औराईकला	औराईकला (मौहारपारा)	औराईकला (मौहारपारा)
24.		खैजा	खैजा (ब) 2	खैजा (ब) 2
25.		पंतोरा	पंतोरा	चमरीपारा वार्ड क्र. 16 (पंतोरा)
26.		पंतोरा	पंतोरा	मुडाभाटा पंतोरा
27.		पंतोरा	पंतोरा	पंतोरा
28.		जर्वे ब.	जर्वे ब.	जर्वे ब.
29.		खोहा	घाटादेई	घाटादेई
30.		चारपारा	रामपुर	रामपुर
31.		जाटा	जाटा (भाटापारा)	जाटा (भाटापारा)
32.		पहरिया	पहरिया	पहरिया
33.		महुदा ब.	महुदा ब.	महुदा ब.
34.		अचानकपुर	अचानकपुर	अचानकपुर
35.		नवगवां	सतीगुडी	सतीगुडी
36.		गतवा	दमखाचा	दमखाचा
37.		महुदा	जूनाडीह	जूनाडीह
			योग	20
			महायोग	37

परिशिष्ट “दो ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 43) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ ”

स्वीकृत पद/रिक्त पद/भरे पद की जानकारी

क्र.	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	भरे पद	कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक	01	01	-	-	श्री पंकज वर्मा अधीक्षक अस्थि बाधितार्थ बाल गृह माना केम्प अतिरिक्त प्रभार में है.
2.	परिवीक्षा अधिकारी	01	-	01	श्री एस. आर. वर्मा	
3.	लेखापाल	01	01	-	-	
4.	मेट्रन	01	01	-	-	
5.	शिक्षिका	01	-	01	श्रीमती किरण बाला साहू	
6.	प्रशिक्षक	01	01	-	-	
7.	हाऊस मास्टर	01	-	01	श्री डी. के. कौशिक	
8.	सहायक ग्रेड-3	01	-	01	श्री एस. के. भगत	
9.	भृत्य	01	-	01	श्री नेमीचंद राव	
10.	रसोइया	02	-	02	श्री जीवराखन पाल श्री श्याम राय	
11.	केयर टेकर	03	-	03	श्री के. चनैइया श्री बालीराम निर्मलकर श्री मनोज शर्मा	
12.	चौकीदार	01	-	01	श्री ईश्वर राम निर्मलकर	
13.	माली	01	-	01	श्री आलोक सिंह	
14.	स्वीपर (कलेक्टर दर)	01	-	01	श्री टोमन लाल	
15.	स्वच्छक (कलेक्टर दर)	01	-	01	श्री सुन्दर लाल	
16.	अंशकालीन चिकित्सक	01	-	01	श्री रतन दास	
योग		19	4	15		

सुरक्षा की दृष्टि से 10 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये है.

प्रपत्र "ब"

दिनांक 1 जुलाई 2009 से 3 जुलाई 2010 तक फरार बच्चों से संबंधित जानकारी

क्र.	फरार हुए बालकों का नाम	पिता का नाम	निवास का पता	प्रवेश दि.	प्रवेश देने संबंधी धारा/अप. क्र.	फरार होने की तिथि	वापस आने की तिथि	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	रोहित उर्फ सुरका 15 वर्ष	स्व. कोमल ध्रुव	भारत नगर, बोरिंग चौक गुड़ियारी थाना गुड़ियारी रायपुर.	1-12-08	(1) 302, 201, 34 अप. क्र. 58/08 (2) 379 भा. द. वि. अप. क्र. 133/08 (3) 379 भा. द. वि. अप. क्र. 291/08	1-05-10		
2.	गुल्ला उर्फ गुणेश्वर 17 वर्ष	स्व. नवल किशोर	शहीद भगत सिंह चौक थाना टिकरापारा रायपुर	23-04-09	377 ता. हि. अप. क्र. 168/09	1-05-10	7-5-10	
3.	अंशारू 17 वर्ष	अनवर	माल धक्का रेल्वे पटरी के पास थाना महासमुंद जिला महासमुंद	9-9-09	(1) 41(1+4), 457, 380 अप. क्र. 2/09 (2) 457, 380, 34 ता. हि. अप. क्र. 35/09 (3) 41(1+4) CRPC 457, 380, 34 भा. द. वि. अप. क्र. 13/09	1-05-10		
4.	लाखन देवार 13 वर्ष	प्रेमलाल देवार	सोमवारी गोबरा बाजार नवापारा राजिम रायपुर	30-11-09	25 आ. ए. अप. क्र. 160/08	1-05-10	7-6-10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	कृष्णा उर्फ बौना 16 वर्ष	स्व. गोरेलाल सोनी	कालीबाड़ी चौक नावेल्टी पान ठेले के पास थाना कोतवाली रायपुर	3-1-10	327, 294, 506, 34 ता. हि. अप. क्र. 3/10	1-05-10		
6.	रियाज 17 वर्ष	मोह. फजल	शहीद हमिद नगर कालीबाड़ी नेहरू नगर थाना कोतवाली रायपुर.	6-1-10	(1) 327, 294, 506, 34 (2) 380 ता. हि.	1-05-10	6-5-10	
7.	मंगल उर्फ मंगलू 16 वर्ष	अशोक चौहान	न्यू कालिंग नगर गुडियारी रायपुर	27-2-10	41(1+4), 457, 380 IPC अप. क्र. 26/10	1-05-10		
8.	राजकुमार उर्फ कद्दी 15 वर्ष	अंजोर कुमार	ग्राम तुसदा थाना महासमुंद जिला महासमुंद	8-4-10	457, 380 IPC अप. क्र. 145/10	1-05-10		
9.	अर्जुन तेलंगे 14 वर्ष	किशोर तेलंगे	बजरंग चौक मठपारा थाना पुरानी बस्ती रायपुर	15-4-10	41(1+4) 379 IPC अप. क्र. 40/10	1-05-10	18-6-10	
10.	राजेश नायक 17 वर्ष	करत राम नायक	मोतीलाल नगर कोटा थाना खम्हारडीह रायपुर	18-4-10	41(1+4), 457, 380 IPC अप. क्र. 43/10	1-05-10	13-5-10	
11.	रेवेन्द्र गायकवाड़ 16 वर्ष	सावत राम गायकवाड़	ग्राम झुचुरिया थाना सिमागा जिला रायपुर	25-4-10	32 J. Act.	1-05-10		

परिशिष्ट “तीन”
[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 142) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	वितरण किये जाने योग्य स्मार्ट कार्ड (3)	वितरण किया जाना शेष (4)
1.	मानपुर	5754	3292
2.	मोहला	6981	5143
3.	अं. चौकी	6768	4871
4.	छुरिया	11354	4668
5.	डोंगेरगांव	8257	4705
6.	राजनांदगांव	27322	16965
7.	डोंगेरगढ़	16188	11105
8.	खैरागढ़	13996	8048
9.	छुईखदान	12431	9385
कुल		109051	68182

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	शासकीय/निजी (2)	चिकित्सालय का नाम (3)	लाभान्वितों की संख्या (4)
1.	शासकीय	जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव	74
2.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर	00
3.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहला	01
4.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अं. चौकी	26
5.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुरिया	50
6.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंगरगांव	69
7.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुमका	09
8.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंगरगढ़	00
9.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरागढ़	23
10.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुईखदान	12
11.	निजी	सीटी हास्पिटल, राजनांदगांव	31
12.		पारख नर्सिंग होम, राजनांदगांव	02
13.		क्रिश्चियन फेलोशिप हास्पिटल	00
14.		विशाल आई केयर हास्पिटल, राजनांदगांव	03
कुल			300

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 164) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

महासमुंद जिले में 30 जून 2010 की स्थिति में पर्यवेक्षक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	बाल विकास परियोजना का नाम	पर्यवेक्षक			आंगनबाड़ी कार्यकर्ता			आंगनबाड़ी सहायिका		
		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	महासमुंद (शहरी)	03	03	0	66	66	0	66	61	05
2.	महासमुंद (ग्रामीण)	11	11	0	286	281	05	286	250	36
3.	बागबाहरा	11	08	03	293	288	05	293	283	10
4.	पिथौरा	12	07	05	303	297	06	303	294	09
5.	बसना	10	08	02	246	245	01	246	243	03
6.	सरायपाली	11	09	02	284	282	02	284	280	04
योग		58	46	12	1478	1459	19	1478	1411	67

प्रपत्र “ब”

**महासमुंद जिले में वर्ष 2008 से 30-06-2010 तक नियुक्त किए गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
एवं सहायिका के पदों की वर्षवार जानकारी**

क्रमांक	बाल विकास परियोजना का नाम	वर्ष 2008 (01-01-2008 से 31-12-2008)		वर्ष 2009 (01-01-2009 से 31-12-2009)		वर्ष 2010 (01-01-2010 से 30-06-2010)	
		नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	नियुक्त की गई आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या	नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	नियुक्त की गई आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या	नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	नियुक्त की गई आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	महासमुंद (शहरी)	0	0	05	05	0	0
2.	महासमुंद (ग्रामीण)	54	0	0	38	0	0
3.	बागबाहरा	03	08	39	41	0	0
4.	पिथौरा	42	36	02	03	05	09
5.	बसना	05	15	46	41	0	0
6.	सरायपाली	0	0	50	57	5	02
योग		104	59	142	185	10	11

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 264) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

कोरबा जिला स्थित बालको में दिनांक 23-09-2009 को चिमनी ढहने से हुए हादसे में दर्ज अपराध क्र. 377/09 धारा 304, 324, 326, 201, 34 भा. द. वि. के अंतर्गत 12 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम, दिनांक गिरफ्तारी, जमानत दिनांक एवं न्यायालय का नाम तथा शर्तों की जानकारी

क्र.	गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पता	दिनांक जमानत	जमानत देने वाले न्यायालय का नाम	जमानत की शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मनोज शर्मा पिता पतिराम शर्मा, उम्र प्रोजेक्ट हेड जीडीसीएल कंपनी बालको.	10-03-10	मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार माननीय न्यायालय श्रीमती सरोज नंददास न्यायिका मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा द्वारा जमानत दिया गया.	1. साक्षीगणों एवं साक्ष्य को प्रभावित न करने व फरार नहीं होंगे. 2. जमानतदार के चल, अचल संपत्ति का विवरण शपथ पत्र में देवें. 3. न्यायालय में सुनवाई तिथि को ठीक 11 बजे उपस्थित रहेंगे. उक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.
2.	विरल मेहता पिता नवनीत मेहता प्रोजेक्ट निर्माणाधीन.	24-02-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	अनुप महापात्र पिता राजेन्द्र प्रसाद जीईटी इंजीनियर बालको.	24-02-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
4.	दीपक नारंग पिता प्रतीक सिंह एजीएम बालको कंपनी.	24-02-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
5.	Mr. WU Chunnan S/o Mr. WU Yulin GM Sepco.	01-05-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6.	Mr. LIU Gaoxuan S/o Mr. LIU Baoting (Civil Engineer)	01-05-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
7.	Mr. Wang Weiqing S/o Wang Boaxing (Civil Engineer)	01-05-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
8.	आलोक शर्मा पिता दयाशंकर शर्मा इंजीनियर जीडीसीएल कंपनी.	08-05-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
9.	सुनील सिंह पिता नागेन्द्र सिंह इंजीनियर जीडीसीएल कंपनी.	08-05-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	मोहम्मद मुजतवा अली पिता अली जीडीसीएल कंपनी बालको.	28-04-10	माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर.	उपरोक्तानुसार
11.	राजेश गोस्वामी पिता एस. एल. गोस्वामी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा.	28-04-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
12.	उपेन्द्र मण्डल पिता संगीमन मण्डल फरीदाबाद, हरियाणा.	28-04-10	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

प्रपत्र "ब"

कोरबा जिला स्थित बालको में दिनांक 23-09-2009 को चिमनी ढहने से हुए हादसे में दर्ज अपराध क्र 377/09 धारा 304, 324, 326, 201, 34 भा. द. वि. के अंतर्गत 12 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के गिरफ्तारी दिनांक से जमानत की अवधि के बीच कहां-कहां रखा गया था तथा जमानतदारों के नाम पते की जानकारी

क्र.	गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पता	जेल में प्रवेश दिनांक	जेल प्रवेश से जमानत होते तक आरोपियों को रखने की स्थान एवं अवधि की जानकारी	जमानतदारों के नाम पते की अलग-अलग जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मनोज शर्मा पिता पतिराम शर्मा, प्रोजेक्ट हेड जीडीसीएल कंपनी बालको.	7-10-09 कुल 27 दिन जेल में रहा.	दि. 09-10-09 को जेल से जिला अस्पताल, कोरबा दाखिल, 09-10-09 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दिनांक 16-10-09 को जेल से जिला अस्पताल दाखिल, दि. 30-11-09 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दि. 14-12-09 को जेल से जिला अस्पताल दाखिल, दि. 10-03-10 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दि. 10-03-10 को जेल से जिला अस्पताल दाखिल एवं अस्पताल से ही दि. 03-05-10 को जमानत पर रिहा किया गया. कुल 06 माह अस्पताल में रहा है.	उमाशंकर सिंह, पिता शिवसहाय निवासी-गोढ़ी, जिला-कोरबा.
2.	विरल मेहता पिता नवनीत मेहता प्रोजेक्ट निर्माणाधीन.	17-11-09 कुल 01 दिन जेल में रहा.	दि. 17-11-09 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल कुल 03 माह 07 दिन जिला अस्पताल में रहा. दिनांक 24-02-10 को अस्पताल से जमानत पर रिहा किया गया.	गजेन्द्र मानसर पिता देव कुमार मानसर निवासी ग्राम सरगबुदिया विकासखण्ड करतला, जिला-कोरबा.
3.	अनुप महापात्र पिता राजेन्द्र प्रसाद जीईटी इंजीनियर बालको.	17-11-09 कुल 01 दिन जेल में रहा.	दि. 17-11-09 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल कुल 03 माह 07 दिन जिला अस्पताल में रहा. दिनांक 24-02-10 को अस्पताल से जमानत पर रिहा किया गया.	गजेन्द्र मानसर पिता देव कुमार मानसर निवासी ग्राम सरगबुदिया विकासखण्ड करतला, जिला-कोरबा.
4.	दीपक नारंग पिता प्रतीक सिंह एजीएम बालको कंपनी.	17-11-09 कुल 01 दिन जेल में रहा.	दि. 17-11-09 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल कुल 03 माह 07 दिन जिला अस्पताल में रहा. दिनांक 24-02-10 को अस्पताल से जमानत पर रिहा किया गया.	गजेन्द्र मानसर पिता देव कुमार मानसर निवासी ग्राम सरगबुदिया विकासखण्ड करतला, जिला-कोरबा.
5.	Mr. WU Chunnan S/o Mr. WU Yulin GM Sepco.	11-01-10 कुल 03 दिन जेल में रहा.	दि. 11-01-10 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल, दिनांक 12-03-10 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दि. 13-03-10 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल, कुल 03 माह 17 दिन जिला अस्पताल में रहा. जिला अस्पताल कोरबा से जमानत	1. इन्द्रभावन सिंह पिता सुदर्शन सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी बसीबाड़ जिला-कोरबा. 2. राजूसाय पिता इतवार साय साकिन कुचैना जिला-कोरबा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			पर दि. 01-05-10 को रिहा किया गया.	
6.	Mr. LIU Gaoxuan S/o Mr. LIU Baoting (Civil Engineer).	11-01-10 कुल 17 दिन जेल में रहा.	दि. 11-01-10 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल, दिनांक 12-03-10 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दि. 27-03-10 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल, कुल 03 माह 03 दिन जिला अस्पताल में रहा. जिला अस्पताल कोरबा से जमानत पर दि. 01-05-10 को रिहा किया गया.	1. इन्द्रभावन सिंह पिता सुदर्शन सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी बसीबाड़ जिला-कोरबा. 2. राजूसाय पिता इतवार साय साकिन कुचैना जिला-कोरबा.
7.	Mr. Wnag Weiqing S/o Wang Boaxing (Civil Engineer).	11-01-10 कुल 17 दिन जेल में रहा.	दि. 11-01-10 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल, दिनांक 12-03-10 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दि. 27-03-10 को जेल से जिला अस्पताल में दाखिल, कुल 03 माह 03 दिन जिला अस्पताल में रहा. जिला अस्पताल कोरबा से जमानत पर दि. 01-05-10 को रिहा किया गया.	1. इन्द्रभावन सिंह पिता सुदर्शन सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी बसीबाड़ जिला-कोरबा. 2. राजूसाय पिता इतवार साय साकिन कुचैना जिला-कोरबा.
8.	आलोक शर्मा पिता दयाशंकर शर्मा, इंजीनियर जीडीसीएल कंपनी.	13-02-10 कुल 31 दिन जेल में रहा.	दि. 13-02-10 को जेल से अस्पताल दाखिल, दिनांक 12-03-10 को अस्पताल से जेल प्रवेश, दिनांक 31-03-10 को जेल से जिला अस्पताल दाखिल, कुल 01 माह 24 दिन जिला अस्पताल में रहा. जिला अस्पताल कोरबा से दिनांक 08-05-10 को रिहा किया गया.	दयालसिंह पिता जयमंगल सिंह निवासी एमआईजी-56 शिवाजी नगर कोरबा.
9.	सुनील सिंह पिता नागेन्द्र सिंह, इंजीनियर जीडीसीएल कंपनी.	13-02-10 कुल 30 दिन जेल में रहा.	दि. 23-02-10 को जेल से अस्पताल दाखिल, दिनांक 12-03-10 को जेल प्रवेश, दिनांक 30-03-10 को जेल से जिला अस्पताल दाखिल, कुल 01 माह 25 दिन जिला अस्पताल में रहा. जिला अस्पताल कोरबा से दिनांक 08-05-10 को जमानत पर रिहा किया गया.	दयालसिंह पिता जयमंगल सिंह निवासी एमआईजी-56 शिवाजी नगर कोरबा.
10.	मोहम्मद मुजतवा अली पिता अली जीडीसीएल कंपनी बालको.	27-03-10	जेल प्रवेश दिनांक 27-03-10 से रिहाई दिनांक 28-04-10 तक जिला जेल कोरबा में रहा.	होरीदास पिता कुंजल दास निवासी ग्राम सतरेगा, जिला-कोरबा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	राजेश गोस्वामी पिता एस. एल. गोस्वामी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा.	27-03-10	जेल प्रवेश दिनांक 27-03-10 से रिहाई दिनांक 28-04-10 तक जिला जेल कोरबा में रहा.	होरीदास पिता कुंजल दास निवासी ग्राम सतरेगा, जिला-कोरबा.
12.	उपेन्द्र मण्डल पिता संगीमन मण्डल फरीदाबाद, हरियाणा.	27-03-10	जेल प्रवेश दिनांक 27-03-10 से रिहाई दिनांक 28-04-10 तक जिला जेल कोरबा में रहा.	होरीदास पिता कुंजल दास निवासी ग्राम सतरेगा, जिला-कोरबा.

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 84) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	सामु. स्वा. केन्द्र (3)	प्राथ. स्वा. केन्द्र (4)	उप. स्वा. केन्द्र (5)
1.	जैजैपुर	जैजैपुर	1. हसौद 2. रायपुरा	1. भोथिया 2. बेलदुला 3. जैजैपुर 4. तुशार 5. ओडेकेरा 6. हरेठीकला 7. गुजियाबोर 8. हसौंद 9. चिस्दा 10. करही 11. घिवरा 12. काशीगढ़ 13. ठठारी 14. दूठी 15. मलनी 16. रायपुरा 17. देवरघटा 18. मुक्ता 19. भोथीडीह 20. चिखलरौंदा 21. छिराडीह 22. परसाडीह
2.	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	1. बिरा	1. बम्हनीडीह 2. भवरेली 3. सेमारिया 4. बिरा ब 5. लखुरी 6. करनौद 7. पोडीशंकर 8. लखाली 9. बिरा अ 10. सिलाडीह 11. तालदेवरी 12. पुछेली
3.	मालखरौदा	-	1. घोघरी 2. पिरदा	1. पिहरीद 2. बड़े सीपत 3. पिरदा 4. मरघटी 5. मुड़पार 6. छपोरा

प्रपत्र “ब”

स. क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	स्वास्थ्य संस्था का नाम (3)
1.	जैजैपुर	प्राथ. स्वा. केन्द्र रायपुरा
2.	मालखरौदा	प्राथ. स्वा. केन्द्र पिरदा
3.	जैजैपुर	उप. स्वा. केन्द्र भोथिया
4.		उप. स्वा. केन्द्र बेलादुला
5.		उप. स्वा. केन्द्र जैजैपुर
6.		उप. स्वा. केन्द्र तुषार
7.		उप. स्वा. केन्द्र ओडेकेरा
8.		उप. स्वा. केन्द्र हरेठीकला
9.		उप. स्वा. केन्द्र गुजियाबोर
10.		उप. स्वा. केन्द्र हसौद
11.		उप. स्वा. केन्द्र चिस्दा
12.		उप. स्वा. केन्द्र करही
13.		उप. स्वा. केन्द्र धिवरा
14.		उप. स्वा. केन्द्र काशीगढ़
15.		उप. स्वा. केन्द्र ठठारी
16.		उप. स्वा. केन्द्र टूठी
17.		उप. स्वा. केन्द्र मलनी
18.		उप. स्वा. केन्द्र रायपुरा
19.		उप. स्वा. केन्द्र देवरघटा
20.		उप. स्वा. केन्द्र मुक्ता
21.		उप. स्वा. केन्द्र भोथीडीह
22.		उप. स्वा. केन्द्र चिखलरौंदा
23.		उप. स्वा. केन्द्र छिराडीह
24.		उप. स्वा. केन्द्र परसाडीह
25.	बम्हनीडीह	उप. स्वा. केन्द्र भंवरेली
26.		उप. स्वा. केन्द्र सेमरिया
27.		उप. स्वा. केन्द्र लखुरी
28.		उप. स्वा. केन्द्र तालदेवरी
29.		उप. स्वा. केन्द्र पिरदा
30.		उप. स्वा. केन्द्र मरघटी
31.		उप. स्वा. केन्द्र मुडपार
32.		उप. स्वा. केन्द्र करनौद
33.		उप. स्वा. केन्द्र बिरा ब

परिशिष्ट "सात"
[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 268) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र (3)
1.	गुण्डरदेही	कसौंदा
2.		भाठागांव बी
3.		मटिया अ
4.		सिब्दी
5.		देवरी (द)
6.	डौंड़ीलोहारा	मनकी
7.		के. नवागांव
8.		फरदफोड़
9.		रानीतराई
10.		हड़गहन
11.		परसुली
12.		ग. नवागांव
13.		मुड़खुसरा
14.		देवरी

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 13) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

स्मार्ट कार्ड वितरण के निम्नलिखित मापदण्ड है :-

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की नवीनतम अधिसूचित सूची को जिले से राज्य नोडल एजेंसी को प्रेषित की जाती है.
2. राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा इस सूची को श्रम मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाता है.
3. भारत सरकार द्वारा इस सूची को साफ्टवेयर के अनुरूप परीक्षण कर सत्यापित किया जाता है, जिसके उपरांत यह सूची भारत सरकार के वेबसाइट पर www.rsby.in राज्य द्वारा चयनित बीमा कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो पाता है.
4. चयनित बीमा कम्पनी द्वारा पंचायत स्तर/ग्राम स्तर पर शिविरों की रूपरेखा बनाकर स्मार्ट कार्ड बनाने का आयोजन करती है.
5. स्मार्ट कार्ड के हितग्राहियों की पहचान करने के लिए प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को फील्ड ऑफिसर (FKO) तैनात किया गया है, जो हितग्राहियों की पहचान कर हितग्राही को स्मार्ट कार्ड वितरित करते हैं.

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अस्पताल का नाम (3)
1.	दंतेवाड़ा	जिला अस्पताल दंतेवाड़ा
2.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गीदम
3.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुंआकोण्डा
4.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटेकल्याण
5.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीजापुर
6.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैरमगढ़
7.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसूर
8.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोण्टा
9.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिन्दगढ़
10.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकमा
11.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालपट्टनम
12.	धमतरी	जिला अस्पताल धमतरी
13.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मगरलोड
14.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरी
15.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुजरा
16.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरूद
17.		उपाध्याय नर्सिंग होम
18.		ओजस्वी नर्सिंग होम
19.		गुप्ता हॉस्पिटल
20.		आदित्य नर्सिंग होम
21.		डॉ. सुनिता जैन नर्सिंग होम
22.		क्रिश्चियन हॉस्पिटल
23.	जांजगीर	जिला अस्पताल जांजगीर
24.		सिविल अस्पताल चांपा
25.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरौद
26.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलौदा
27.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रम्हाडीह
28.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सक्ती
29.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैजैपुर
30.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दबहरा
31.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलखरोड़ा
32.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकलतरा
33.		ओशोधरा हॉस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर
34.		चांपा हॉस्पिटल एण्ड फरटिलिटी सेंटर
35.		चांपा क्रिश्चियन हॉस्पिटल

(1)	(2)	(3)
36.		नायक हॉस्पिटल
37.		एल. एल. पॉलीवाल मेमोरियल हॉस्पिटल
38.		स्व. बंशीधर मुक्ति स्मृति शल्य चिकित्सालय, अकलतरा
39.		ओ. आर. ओ. डेन्टल केयर सेंटर
40.		लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल
41.		एम. डी. मोदी मेमोरियल हॉस्पिटल
42.	जशपुर	जिला चिकित्सालय जशपुर
43.		सिविल अस्पताल पत्थलगांव
44.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फरसाबहार
45.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनौरा
46.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुलदुला
47.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांसाबेल
48.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुनकुरी
49.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगीचा
50.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोदाम
51.		सिटी हेल्थ सेंटर
52.		होली क्रॉस हॉस्पिटल
53.	कांकेर	जिला अस्पताल कांकेर
54.		सिविल हॉस्पिटल पखानजूर
55.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमोदा
56.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरामा
57.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर
58.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोयलीबेड़ा
59.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अन्तागढ़
60.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुर्गकोन्डल
61.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहरपुर
62.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनाली कन्हार
63.	कवर्धा	जिला अस्पताल कबीरधाम
64.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहसपुर लोहारा
65.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंडरिया
66.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोड़ला
67.		रेडियन्स हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
68.	कोरबा	जिला अस्पताल कोरबा
69.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटघोरा
70.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली
71.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोड़ी उपरोड़ा
72.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करतला
73.		अन्नपूर्णा नर्सिंग होग

(1)	(2)	(3)
74.		साईं कृपा हॉस्पिटल
75.		सर्वमंगला नर्सिंग होम
76.		साहू हॉस्पिटल
77.		कोरबा हॉस्पिटल
78.	कोरिया	जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर कोरिया
79.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनहत
80.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनकपुर
81.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनैन्द्रगढ़
82.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरमिरी
83.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खड़गांवा
84.	महासमुंद	जिला अस्पताल महासमुंद
85.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसना
86.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागबहरा
87.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराईपाली
88.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिथौरा
89.		आदित्य नर्सिंग होम
90.		अकालपूरक नर्सिंग होम
91.		सेवा भवन हॉस्पिटल
92.		जैन नर्सिंग होम
93.	रायगढ़	जिला अस्पताल रायगढ़
94.		सिविल अस्पताल खरसिया
95.		सिविल अस्पताल धरमजयगढ़
96.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुसौर
97.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घरघोड़ा
98.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लयलूंगा
99.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तमनार
100.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरमकेला
101.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारंगढ़
102.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोइंग
103.		ओ. पी. जिंदल हॉस्पिटल
104.		सिटी हॉस्पिटल
105.		आर. एल. हॉस्पिटल
106.		राजप्रिय सर्जिकल हॉस्पिटल
107.		श्रीमति अशरफी देवी हॉस्पिटल
108.		संजीवनी नर्सिंग होम
109.		जे. एम. जे. मार्निंग स्टार हॉस्पिटल
110.	बस्तर	सिविल अस्पताल नारायणपुर
111.		सिविल अस्पताल भानपुरी

(1)	(2)	(3)
112.		सिविल अस्पताल आर. एन. टी. कोण्डागांव
113.		मेडिकल कालेज महारानी अस्पताल जगदलपुर
114.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकावंड
115.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहांडीगुड़ा
116.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोकापाल
117.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़े किलेपाल
118.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरभा
119.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानगुर
120.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फरसगांव
121.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माकड़ी
122.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशकाल
123.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विश्रामपुरी
124.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओरछा
125.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्तर
126.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोण्डागांव
127.		एम. पी. एम. हॉस्पिटल, धरमपुरा
128.		बस्तर सेवा हॉस्पिटल न्यू बस स्टेण्ड रोड जगदलपुर
129.		कले नर्सिंग होम बजरंग राईस मिल गायत्री मंदिर के पास जगदलपुर
130.		बंसल नर्सिंग होम बालाजी वार्ड जगदलपुर
131.	रायपुर	जिला अस्पताल, पंडरी, रायपुर
132.		सिविल अस्पताल, रायपुर
133.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अभनपुर
134.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आरंग
135.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाटापारा
136.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाईगढ़
137.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुरा
138.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवभोग
139.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरसीवा
140.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिंगेश्वर
141.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरियाबंद
142.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसडोल
143.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लवन
144.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैनपुर
145.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलारी
146.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा
147.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिल्दा
148.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोबरा नवापारा
149.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजिम

(1)	(2)	(3)
150.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलौदा बाजार
151.		बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोवा पुलिस स्टेशन रोड, रायपुर
152.		आरोग्य हॉस्पिटल, कुबेर अपार्टमेंट, शंकर नगर रायपुर
153.		वरदान हॉस्पिटल, शंकर नगर रायपुर
154.		रायपुर हॉस्पिटल एण्ड रिचर्स सेंटर, कचहरी चौक रायपुर
155.		रायपुर स्टोन क्लीनिक, कचहरी चौक रायपुर
156.		कल्दा कॉस्मेटिक सर्जरी एण्ड बर्न सेन्टर, समता कालोनी, रायपुर
157.		आयुष्मान हॉस्पिटल एण्ड रिचर्स इन्स्टीट्यूट महादेव घाट रोड रायपुर
158.		विशारद हॉस्पिटल सुभाष स्टेडियम, रायपुर
159.		अग्रवाल हॉस्पिटल, शंकर नगर, रायपुर
160.		श्री राम हॉस्पिटल डगनिया रोड, सुंदर नगर रोड, रायपुर
161.		पी. जे. एल. एन. एम. मेडिकल कालेज, रायपुर
162.		इनफेक्शियस डिसिज हॉस्पिटल, अभनपुर
163.		आयुष हॉस्पिटल एण्ड मेन्टेनिटी होम, रायपुर
164.		रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर
165.		संजीवनी कैंसर सेन्टर, पचपेड़ी नाका, रायपुर
166.		लाईफवर्थ हॉस्पिटल, समता कालोनी, रायपुर
167.		सर्वोदय हॉस्पिटल, मोवा, रायपुर
168.		आई. एण्ड ई. एन. टी. हॉस्पिटल, रायपुर
169.		आर्शीवाद फरटिलिटी एण्ड एन्डोस्कोपी सेन्टर, रायपुर
170.		शिवम नेत्रालय एण्ड लेजर सेन्टर, रायपुर
171.		स्वामी नारायण हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर
172.		बंठिया हॉस्पिटल, राजा तालाब रोड, रायपुर
173.		कर्मा हॉस्पिटल, तेलीबांधा, रायपुर
174.		रावलानी हॉस्पिटल, कटोरा तालाब, रायपुर
175.		उपाध्याय हॉस्पिटल, महोबा बाजार, रायपुर
176.		फरिश्ता हॉस्पिटल, कटोरा तालाब, रायपुर
177.		कंवर नर्सिंग होम, अनुपम नगर, रायपुर
178.		कंवर हॉस्पिटल, गौशाला रोड, भाटापारा, रायपुर
179.		डॉ. जॉलकर ई. एन. टी. हॉस्पिटल, पुरानी बस्ती, रायपुर
180.		भट्टर हॉस्पिटल, महिला थाना के पास, रायपुर
181.		गुरूनानक हॉस्पिटल, देवेन्द्र नगर, रायपुर
182.		माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एण्ड इन्वेस्टिगेशन सेन्टर, अनुपम नगर, रायपुर
183.		जीवन मेमोरियल हॉस्पिटल, न्यू शांति नगर, रायपुर
184.		नवकार हॉस्पिटल, शैलेन्द्र नगर, रायपुर
185.		छत्तीसगढ़ मेडिकल रिचर्स सेन्टर एण्ड इन्स्टीट्यूट, चौबे कालोनी, रायपुर
186.		देवकृपा हॉस्पिटल एण्ड डॉ. प्लाजा, रायपुर
187.		ओम नेत्र केन्द्र, रायपुर

(1)	(2)	(3)
188.		सुराधा हॉस्पिटल, रायपुर
189.		भृगु नर्सिंग होम, बजरंग वार्ड भाटापारा, रायपुर
190.		आस्था नर्सिंग होम, भाटापारा, रायपुर
191.		हेरिटेज हॉस्पिटल, सेक्टर-2 देवेन्द्र नगर, रायपुर
192.		मां शादरदा नर्सिंग होम, तेलीबांधा, रायपुर
193.		देवी सरस्वती मदर एण्ड चाइल्ड वेल फेयर सेन्टर अश्वनी नगर, लाखेनगर, महादेव घाट रोड, रायपुर.
194.		इवेनगनिकल मिशन हॉस्पिटल, तिल्दा पोस्ट ऑफिस न्यूरा, रायपुर
195.		सृजन नर्सिंग होम, राजेन्द्र नगर, रायपुर
196.		श्री अरविन्दो मेडिकल रिचर्स सेन्टर, पंचमेढी नाका, धमतरी रोड, रायपुर
197.		गुरू कृपा प्रसूति एवं नर्सिंग होम, श्याम नगर मेड रोड, रायपुर
198.		पांडे नर्सिंग होम, 195, समता कालोनी, रायपुर
199.		सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी होम, बड़े उरला रोड अभनपुर, रायपुर.
200.		शाह नर्सिंग होम शदर बाजार नया पारा राजिम, रायपुर
201.		जनास्वामी फाउन्डेशन बुढ़ापारा, रायपुर
202.		ज्योति हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह, सत्पाल नगर तिल्दा पोस्ट न्यूरा, रायपुर
203.		चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, गांधी मंदिर वार्ड भाटापारा, रायपुर
204.		विद्या हॉस्पिटल एण्ड किडनी सेन्टर मेन रोड शंकर नगर, रायपुर
205.		रूप जीवन हॉस्पिटल साई नगर, देवेन्द्र नगर, रायपुर
206.		माता स्मृति हॉस्पिटल गुढ़ियारी, रायपुर
207.		मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, होली क्रॉस कापा के सामने पंडरी, रायपुर
208.		खेमका हॉस्पिटल साई नगर देवेन्द्र नगर, रायपुर
209.		सुयश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कोटा गुढ़ियारी रोड पिकाडली होटल के पीछे रायपुर.
210.		साई बाबा आई हॉस्पिटल, छोटी लाईन के पास फाफाडीह, रायपुर
211.		सेवा सदन माता राजिम हॉस्पिटल, मरचूरी हाऊस के पास राजिम चौक, रायपुर
212.		श्री गणेश हॉस्पिटल जी-9 अशोका मिनेलियम रिंग रोड नं. 1, रायपुर
213.		सियाराम हॉस्पिटल बिलासपुर रोड भाटापारा, रायपुर
214.		डॉ. सरना नर्सिंग होम सी 1-60 कटोरा तालाब मेन रोड, रायपुर
215.		ठाकूर हॉस्पिटल माता देवालय वार्ड भाटापारा, रायपुर
216.	राजनांदगांव	जिला अस्पताल राजनांदगांव
217.		सिविल अस्पताल खैरागढ़ राजनांदगांव
218.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुमका
219.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंगरगांव
220.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहला
221.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर
222.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बागढ़ चौकी
223.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंगरगढ़

(1)	(2)	(3)
224.	राजनांदगांव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुईखदान
225.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुरिया कला
226.		क्रिश्चयन फेलोशिप हॉस्पिटल, पी. टी. एस. के पास राजनांदगांव
227.		सी. टी. हॉस्पिटल, लाल बाग राजनांदगांव
228.		पारख नर्सिंग होम, लाल बाग राजनांदगांव
229.		विशाल आई. केयर भरका पारा के पास कमल टाकीज राजनांदगांव
230.	बिलासपुर	सिम्स कंपनी गार्डन बिलासपुर
231.		जिला अस्पताल, बस स्टेण्ड बिलासपुर
232.		सिविल अस्पताल, रतनपुर, बिलासपुर
233.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्हा, बिलासपुर
234.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुंगेली, बिलासपुर
235.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटा, बिलासपुर
236.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोरमी, बिलासपुर
237.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेण्ड्रा, बिलासपुर
238.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतपुर, बिलासपुर
239.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरिया, बिलासपुर
240.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मस्तूरी, बिलासपुर
241.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरैला, बिलासपुर
242.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरवाही, बिलासपुर
243.		क्रिश्चयन हॉस्पिटल लोरमी रोड मुंगेली, बिलासपुर
244.		श्री साईं कृपा हॉस्पिटल सरजू बगीचा रोड तेलीपारा
245.		संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर वेयर हाउस रोड
246.		जै जै हॉस्पिटल अरपा ब्रिज रोड तोरवा
247.		दुबे नर्सिंग होम सुभाष नगर गोढ़ पारा
248.		पं. एम. डी. मेमोरियल नर्सिंग होम जूनी लाईन
249.		ला चंदानी हॉस्पिटल दयालबंध
250.		श्री राम हॉस्पिटल तेलीपारा रोड
251.		साई बाबा हार्ट एण्ड किडनी सेन्टर, ओम नगर जरहा भाटा
252.		संकल्प आई हॉस्पिटल, बस स्टेण्ड बिलासपुर
253.		बिलासपुर हॉस्पिटल जरहा भाटा
254.		लेट. के. आर. साव मेमोरियल सर्जिकल सेन्टर, सरकंडा
255.		एन्डोस्कोपी एण्ड सर्जिकल सेन्टर मगरपारा रोड
256.		सुखम अरोग्यालय मंगला चौक बिलासपुर
257.		विनायक नेत्रालय सिम्स जूनी लाईन के पास बिलासपुर
258.		श्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल सिम्स जूनी लाईन के पास बिलासपुर
259.		मेघानी नर्सिंग होम सिम्स जूनी लाईन के पास
260.		सहारा नर्सिंग होम, चंदला नगर

(1)	(2)	(3)
261.		भारगव हॉस्पिटल अग्रसेन चौक मगरपारा रोड बिलासपुर
262.		जन स्वास्थ्य सहयोग गनयारी जिला बिलासपुर
263.		चरन नर्सिंग होम मेन रोड तखतपुर
264.		डॉ. शर्मा हॉस्पिटल निरंजनम प्लेस बिलासपुर
265.	दुर्ग	जिला अस्पताल दुर्ग
266.		सिविल हॉस्पिटल, बेमेतरा, दुर्ग
267.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साजा, दुर्ग
268.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुण्डरदेही, दुर्ग
269.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालोद, दुर्ग
270.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंडी, दुर्ग
271.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरूर, दुर्ग
272.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंडी लोहारा, दुर्ग
273.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेरला, दुर्ग
274.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवागढ़, दुर्ग
275.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमधा, दुर्ग
276.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निकुम, दुर्ग
277.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन, दुर्ग
278.		सिटी हास्पिटल, सुपेला थाना भिलाई
279.		गायत्री हास्पिटल, प्रियदर्शनी परिसर, सुपेला
280.		एम. पी. नर्सिंग होम, शंकर नगर रोड, दुर्ग
281.		शहीद हास्पिटल, दल्ली राजहरा, दुर्ग
282.		वर्मा हॉस्पिटल, इंदिरा मार्केट, दुर्ग
283.		मां दुर्गा हॉस्पिटल, अहिवारा, दुर्ग
284.		चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल भिलाई
285.		राजिव लोचन हॉस्पिटल, दुर्ग
286.		सागर हॉस्पिटल, दुर्ग
287.		स्वास्थ्य संचय दुर्ग
288.		संजीवनी हॉस्पिटल, दुर्ग
289.		कृष्णा नर्सिंग होम, दुर्ग
290.	सरगुजा	जिला अस्पताल
291.		सिविल अस्पताल, वाडूरनगर
292.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैनपाट
293.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुर
294.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजपुर
295.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीतापुर
296.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुर
297.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बटोली
298.		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरजपुर

(1)	(2)	(3)
299.	300.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विश्रामपुर
301.	302.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैयाथान
303.	304.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रेमनगर
305.	306.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापपुर
307.	308.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामानुजनगर
309.	310.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओडजी
311.	312.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामानुजगंज
313.	314.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलरामपुर
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुसमी
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शंकरगढ़
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौरपुर
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बफाली
		परिदा नर्सिंग होम एण्ड क्लीनिक
		होली क्रॉस हास्पिटल, अम्बिकापुर
		अरिहंत हास्पिटल
		कुन्डला मेमोरियल हास्पिटल, सरगुजा

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 4) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विवाह कराये गये जोड़े एवं व्यय का विकासखंडवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2010-11 में विवाह कराये गये जोड़ों की संख्या	प्रति कन्या औसत व्यय राशि	विवाह पर व्यय की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाडूफनगर	139	5000.00	694986.00
2.	बतौली	196	5000.00	979980.00
3.	प्रतापपुर	79	4959.00	391753.00
4.	लखनपुर	55	4959.00	272740.00
5.	अम्बिकापुर	85	5000.00	424992.00
6.	सूरजपुर	103	5000.00	514990.00

प्रपत्र “ब”

प्रश्नांश-ब अनुसार दी गई उपहार सामग्री की मात्रा एवं मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

विकासखंड-वाडफनगर

सामग्री का नाम (1)	मात्रा (2)	मूल्य (3)	सामग्री का नाम (4)	मात्रा (5)	मूल्य (6)
मंगलसूत्र	1 नग	311.00	पेटीकोट	2 नग	124.00
बिछिया	2 नग	35.00	ब्लाउज	2 नग	65.00
सोने की लौंग	1 नग	154.00	चुनरी	1 नग	70.00
चप्पल	1 जोड़ा	79.00	टिन की पेटी	1 नग	358.00
दुल्हे का सेहरा	1 नग	69.00	थाली (स्टील)	2 नग	250.00
दुल्हन का मोर	1 नग	6.00	गिलास (स्टील)	2 नग	50.00
चूड़ी	2 दर्जन	8.50	कटोरी (स्टील)	2 नग	50.00
कंधी	1 नग	6.50	प्लेट (स्टील)	2 नग	50.00
टेलकम पाउडर	1 डब्बा	22.00	लोटा (स्टील)	1 नग	95.00
दर्पण	1 नग	22.90	गंज (स्टील) छोटा	1 नग	150.00
सिंदूर	1 डब्बा	6.00	गंज (स्टील) बड़ा	1 नग	200.00
आलता	1 नग	8.00	कड़ाही	1 नग	390.00
बिंदी	1 पत्ती	7.50	करछुल (स्टील)	1 नग	40.00
नहाने का साबुन	1 नग	7.50	परात (स्टील)	1 नग	286.00
गमछा	1 नग	25.00	पानी टंकी/ गगरा (स्टील)	1 नग	480.00
धोती	1 नग	74.00			
सफेद कुर्ता	1 नग	79.00			
पैट सर्ट	1 सेट	145.00			
चुनरी साड़ी	1 नग	142.00			
सेथेटिक साड़ी	1 नग	134.00			

विकासखंड-सूरजपुर

सामग्री का नाम (1)	मात्रा (2)	मूल्य (3)	सामग्री का नाम (4)	मात्रा (5)	मूल्य (6)
मंगलसूत्र	1 नग	311.00	थाली (स्टील)	6 नग	480.00
बिछिया	2 नग	35.00	गिलास (स्टील)	6 नग	150.00
सोने की लौंग	1 नग	154.00	कटोरी (स्टील)	6 नग	150.00
चप्पल	1 जोड़ा	79.00	लोटा (स्टील)	1 नग	90.00
दुल्हे का सेहरा	1 नग	69.00	परात(स्टील)	1 नग	190.00
दुल्हन का मोर	1 नग	6.00	पानी टंकी/गगरा (स्टील)	1 नग	331.00
चूड़ी	2 दर्जन	8.50	प्रेसर कुकर (5 लीटर)	1 नग	650.00
कंधी	1 नग	6.50			
टेलकम पाउडर	1 डब्बा	22.00			
दर्पण	1 नग	22.90			
सिंदुर	1 डब्बा	6.00			
आलता	1 नग	8.00			
बिंदी	1 पत्ती	7.50			
नहाने का साबुन	1 नग	7.50			
गमछा	1 नग	25.00			
धोती	1 नग	74.00			
सफेद कुर्ता	1 नग	79.00			
पैट सर्ट	1 सेट	145.00			
चुनरी साड़ी	1 नग	142.00			
सेथेटिक साड़ी	1 नग	134.00			
पेटीकोट	2 नग	124.00			
ब्लाउज	2 नग	65.00			
चुनरी	1 नग	70.00			
टिन की पेटी	1 नग	358.00			

विकासखंड-बतौली

सामग्री का नाम (1)	मात्रा (2)	मूल्य (3)	सामग्री का नाम (4)	मात्रा (5)	मूल्य (6)
मंगलसूत्र	1 नग	311.00	थाली (स्टील)	6 नग	831.00
बिछिया	2 नग	35.00	गिलास (स्टील)	6 नग	180.00
सोने की लौंग	1 नग	154.00	कटोरी (स्टील)	6 नग	120.00
चप्पल	1 जोड़ा	79.00	लोटा (स्टील)	1 नग	110.00
दुल्हे का सेहरा	1 नग	69.00	परात(स्टील)	1 नग	150.00
दुल्हन का मोर	1 नग	6.00	प्रेसर कुकर (5 लीटर)	1 नग	650.00
चूड़ी	2 दर्जन	8.50			
कंधी	1 नग	6.50			
टेलकम पाउडर	1 डब्बा	22.00			
दर्पण	1 नग	22.90			
सिंदुर	1 डब्बा	6.00			
आलता	1 नग	8.00			
बिंदी	1 पत्ती	7.50			
नहाने का साबुन	1 नग	7.50			
गमछा	1 नग	25.00			
धोती	1 नग	74.00			
सफेद कुर्ता	1 नग	79.00			
पैट सर्ट	1 सेट	145.00			
चुनरी साड़ी	1 नग	142.00			
सेथेटिक साड़ी	1 नग	134.00			
पेटीकोट	2 नग	124.00			
ब्लाउज	2 नग	65.00			
चुनरी	1 नग	70.00			
टिन की पेटी	1 नग	358.00			

विकासखंड-अम्बिकापुर

सामग्री का नाम (1)	मात्रा (2)	मूल्य (3)	सामग्री का नाम (4)	मात्रा (5)	मूल्य (6)
मंगलसूत्र	1 नग	311.00	टिन की पेटी	1 नग	358.00
बिछिया	2 नग	35.00	थाली (स्टील)	6 नग	450.00
सोने की लौंग	1 नग	154.00	गिलास (स्टील)	6 नग	120.00
चप्पल	1 जोड़ा	79.00	कटोरी (स्टील)	6 नग	90.00
दुल्हे का सेहरा	1 नग	69.00	लोटा (स्टील)	1 नग	65.00
दुल्हन का मोर	1 नग	6.00	परात (स्टील)	1 नग	140.00
चूड़ी	2 दर्जन	8.50	पानी टंकी/गगरा (स्टील)	1 नग	451.00
कंधी	1 नग	6.50	प्रेसर कुकर (5 लीटर)	1 नग	725.00
टेलकम पाउडर	1 डब्बा	22.00			
दर्पण	1 नग	22.90			
सिंदुर	1 डब्बा	6.00			
आलता	1 नग	8.00			
बिंदी	1 पत्ती	7.50			
नहाने का साबुन	1 नग	7.50			
गमछा	1 नग	25.00			
धोती	1 नग	74.00			
सफेद कुर्ता	1 नग	79.00			
पैट सर्ट	1 सेट	145.00			
चुनरी साड़ी	1 नग	142.00			
सेंथेटिक साड़ी	1 नग	134.00			
पेटीकोट	2 नग	124.00			
ब्लाउज	2 नग	65.00			
चुनरी	1 नग	70.00			

विकासखंड-प्रतापपुर

सामग्री का नाम (1)	मात्रा (2)	मूल्य (3)	सामग्री का नाम (4)	मात्रा (5)	मूल्य (6)
मंगलसूत्र	1 नग	311.00	थाली (स्टील)	2 नग	320.00
बिछिया	2 नग	35.00	गिलास (स्टील)	2 नग	80.00
सोने की लौंग	1 नग	154.00	कटोरी (स्टील)	2 नग	60.00
चप्पल	1 जोड़ा	79.00	प्लेट (स्टील)	2 नग	40.00
दुल्हे का सेहरा	1 नग	69.00	लोटा (स्टील)	1 नग	150.00
दुल्हन का मोर	1 नग	6.00	गंज (स्टील) छोटा	1 नग	190.00
चूड़ी	2 दर्जन	8.50	गंज (स्टील) बड़ा	1 नग	250.00
कंधी	1 नग	6.50	कड़ाही	1 नग	380.00
टेलकम पाउडर	1 डब्बा	22.00	करछुल (स्टील)	1 नग	40.00
दर्पण	1 नग	22.90	परात (स्टील)	1 नग	150.00
सिंदुर	1 डब्बा	6.00	पानी टंकी/गगरा (स्टील)	1 नग	340.00
आलता	1 नग	8.00			
बिंदी	1 पत्ती	7.50			
नहाने का साबुन	1 नग	7.50			
गमछा	1 नग	25.00			
धोती	1 नग	74.00			
सफेद कुर्ता	1 नग	79.00			
पैट सर्ट	1 सेट	145.00			
चुनरी साड़ी	1 नग	142.00			
संश्लेषिक साड़ी	1 नग	134.00			
पेटीकोट	2 नग	124.00			
ब्लाउज	2 नग	65.00			
चुनरी	1 नग	70.00			
टिन की पेटी	1 नग	358.00			

विकासखंड-लखनपुर

सामग्री का नाम (1)	मात्रा (2)	मूल्य (3)	सामग्री का नाम (4)	मात्रा (5)	मूल्य (6)
मंगलसूत्र	1 नग	311.00	थाली (स्टील)	6 नग	570.00
बिछिया	2 नग	35.00	गिलास (स्टील)	6 नग	150.00
सोने की लौंग	1 नग	154.00	कटोरी (स्टील)	6 नग	150.00
चप्पल	1 जोड़ा	79.00	लोटा (स्टील)	1 नग	45.00
दुल्हे का सेहरा	1 नग	69.00	परात(स्टील)	1 नग	110.00
दुल्हन का मोर	1 नग	6.00	पानी टंकी/गगरा (स्टील)	1 नग	485.00
चूड़ी	2 दर्जन	8.50	प्रेसर कुकर (5 लीटर)	1 नग	490.00
कंधी	1 नग	6.50			
टेलकम पाउडर	1 डब्बा	22.00			
दर्पण	1 नग	22.90			
सिंदूर	1 डब्बा	6.00			
आलता	1 नग	8.00			
बिंदी	1 पत्ती	7.50			
नहाने का साबुन	1 नग	7.50			
गमछा	1 नग	25.00			
धोती	1 नग	74.00			
सफेद कुर्ता	1 नग	79.00			
पैट सर्ट	1 सेट	145.00			
चुनरी साड़ी	1 नग	142.00			
सेथेटिक साड़ी	1 नग	134.00			
पेटीकोट	2 नग	124.00			
ब्लाउज	2 नग	65.00			
चुनरी	1 नग	70.00			
टिन की पेटी	1 नग	358.00			

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 143) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010 में दिनांक 08-07-2010 तक अवैध शराब बिक्री के प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पूर्ण पता	शिकायत के स्थान का नाम	जिसके विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया/ खाली तलाशी लिया गया उसका नाम	पी. 8 क्रमांक एवं दिनांक तथा धारा का स्पष्ट विवरण	जप्त मदिरा की मात्रा	न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक एवं चालान प्रस्तुत करने का दिनांक	न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री सुरेश कुमार, ग्राम आमगांव, वि. ख. छुरिया.	आमगांव	राकेश साहू के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	281/10 दि. 08-01-10 धारा-34 (1) (क)	7 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा	456/10 दि. 18-05-2010	न्यायालय में निर्णय से लंबित.
2.	श्रीमती अमरिका बाई, ग्राम आमगांव, वि. ख. छुरिया.	आमगांव	राजेन्द्र तिवारी के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	307/10 दि. 24-01-10 धारा-36 (ए)	5 पाव प्लेन मदिरा (900 मि. ली.)	457/10 दि. 18-05-2010	न्यायालय में निर्णय से लंबित.
3.	श्री लक्ष्मीनारायण राजपूत, ग्राम आमगांव, वि. ख. छुरिया.	आमगांव	श्री पंचम यादव के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 08-02-10	खाली तलाशी	-	-
4.	श्री टी. के. साहू, ग्राम मालाडबरी	मालाडबरी	श्री खिलवान यादव के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 20-03-10	खाली तलाशी	-	-
5.	श्रीमती सीता बाई, अध्यक्ष, जय दुर्गा महिला समूह एवं अन्य, ग्राम बेलगाँदी.	बेलगाँदी	श्री वेद प्रकाश के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 02-05-10	खाली तलाशी	-	-
6.	श्रीमती सीता बाई, अध्यक्ष, जय दुर्गा महिला समूह एवं अन्य, ग्राम बेलगाँदी.	बेलगाँदी	श्री संतोष कुमार के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 02-05-10	खाली तलाशी	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	श्रीमती सीता बाई, अध्यक्ष, जय दुर्गा महिला समूह एवं अन्य, ग्राम बेलरगोंदी.	बेलरगोंदी	श्री अमर सोनी के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 02-05-10	खाली तलाशी	-	-
8.	श्री भागवत वर्मा, ग्राम पंचायत रेंगाकटेरा वि. ख. राजनांदागांव	रेंगाकटेरा	राजू सिन्हा के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	35/10 दि. 02-05-10 धारा-36 (ए)	4 पाव ब्लिस्की (720 मि. ली.)	401/10 दि. 10-05-2010	1000/- जुर्माना.
9.	श्री कुलदीप, दुर्गा चौक, राजनांदागांव	पुराना बस स्टेण्ड राजनांदागांव	कचरू मरार के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	26/10 दि. 04-05-10 धारा-36 (ए)	3 पाव ब्लिस्की विदेशी मदिरा (460 मि. ली.)	389/10 दि. 05-05-10	1000/- जुर्माना.
10.	श्री कुलदीप, दुर्गा चौक, राजनांदागांव	पुराना बस स्टेण्ड राजनांदागांव	महेन्द्र पाल सिंह भाटिया के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	27/10 दि. 04-05-10 धारा-36 (ए)	5 पाव ब्लिस्की विदेशी मदिरा (770 मि. ली.)	413/10 दि. 11-05-10	1000/- जुर्माना.
11.	श्री कुलदीप, दुर्गा चौक, राजनांदागांव	नया बस स्टेण्ड राजनांदागांव	संजीव गुप्ता के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	26/10 दि. 05-05-10 धारा-36 (ए)	2 पाव ब्लिस्की विदेशी मदिरा (200 मि. ली.)	448/10 दि. 18-05-10	1000/- जुर्माना.
12.	श्री कुलदीप, दुर्गा चौक, राजनांदागांव	नया बस स्टेण्ड राजनांदागांव	तिहारू के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	27/10 दि. 05-05-10 धारा-36 (ए)	2 पाव ब्लिस्की विदेशी मदिरा (240 मि. ली.)	652/10 दि. 07-07-10	1000/- जुर्माना.
13.	श्रीमती नैना बाई, ग्राम पंचायत भंवरमरा.	भंवरमरा	श्री दीनू यादव के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 18-05-10	खाली तलाशी	-	-
14.	श्री रघुनाथ नेताम, ग्राम पंचायत खुबाटोला, वि. ख. डोंगसगढ़.	खुबाटोला	श्री प्रकाश चन्द्राकर के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 22-05-10	खाली तलाशी	-	-
15.	श्री हेमराज साहू, लखोली, वार्ड क्र. 43, राजनांदागांव.	लखोली, वार्ड क्र. 43, राजनांदागांव.	श्री मोहन लाल निषाद के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 22-05-10	खाली तलाशी	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	श्रीमती मेरीन बाई, ग्राम पंचायत रेंगाकटेरा.	रेंगाकटेरा.	श्री सतवन्तीन बाई के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	46/10 दि. 29-05-10 धारा-36 (ए)	5 पाव प्लेन मदिरा (900 मि. ली.)	न्यायालय में चालन से संबंधित.	-
17.	श्रीमती मेरीन बाई, ग्राम पंचायत रेंगाकटेरा.	रेंगाकटेरा.	श्री उत्तम कुमार के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	47/10 दि. 29-05-10 धारा-36 (ए)	5 पाव प्लेन मदिरा (730 मि. ली.)	न्यायालय में चालन से संबंधित.	-
18.	श्री हेमराज साहू, लखोली, वार्ड क्र. 43, राजनांदागांव.	वार्ड क्र. 29 राजनांदागांव	श्री नरेन्द्र सतनामी के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 08-06-10	खाली तलाशी	-	-
19.	श्री हेमराज साहू, लखोली, वार्ड क्र. 43, राजनांदागांव.	वार्ड क्र. 43 राजनांदागांव	श्री मोहन लाल निषाद के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 08-06-10	खाली तलाशी	-	-
20.	श्रीमती सीता बाई, अध्यक्ष, जय दुर्गा महिला समूह एवं अन्य, ग्राम बेलरगोंदी.	बेलरगोंदी	श्री वेद प्रकाश के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 11-06-10	खाली तलाशी	-	-
21.	श्रीमती सीता बाई, अध्यक्ष, जय दुर्गा महिला समूह एवं अन्य, ग्राम बेलरगोंदी.	बेलरगोंदी	श्री संतोष कुमार के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 11-06-10	खाली तलाशी	-	-
22.	श्रीमती सीता बाई, अध्यक्ष, जय दुर्गा महिला समूह एवं अन्य, ग्राम बेलरगोंदी.	बेलरगोंदी	श्री अमर सोनी के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 11-06-10	खाली तलाशी	-	-
23.	जय मां दुर्गा महिला मण्डल, ग्राम-सेदरी द्वारा-माननीय विधायक श्री खेदुराम साहू, डोंगरागांव क्षेत्र क्र. 76 मु./पो. लालबहादुर नगर.	सेन्दरी	श्री कृष्णा के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 18-06-10	खाली तलाशी	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	श्री रंजीत अग्रवाल, साकिन ईतवारी बाजार, खैरागढ़.	खैरागढ़	श्री प्रकाश सिंग बैस के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 29-06-10	खाली तलाशी	-	-
25.	श्री भागवत वर्मा, ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा वि. ख. राजनांदागांव.	रेंगाकठेरा	राजू सिन्हा के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	89/10 दि. 25-06-10 धारा-36 (ए)	5 पाव प्लेन मदिरा (1000 मि. ली.)	न्यायालय में चालन से लंबित.	-
26.	श्री घसिया ठाकुर, रेवाडीह, पेण्डी वार्ड क्र. 18.	पेण्डी वार्ड क्र. 18	भगवती प्रसाद के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	84/10 दि. 29-06-10 धारा-36 (ए)	4 पाव व्हिस्की विदेशी मदिरा (560 मि. ली.)	663/10 दिनांक 08-07-10	1000/- जुर्माना.
27.	श्री घसिया ठाकुर, रेवाडीह, पेण्डी वार्ड क्र. 18.	पेण्डी वार्ड क्र. 18	पवन यादव के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया.	85/10 दि. 29-06-10 धारा-36 (ए)	4 पाव व्हिस्की विदेशी मदिरा (460 मि. ली.)	648/10 दिनांक 06-07-10	1000/- जुर्माना.
28.	श्री घसिया ठाकुर, रेवाडीह, पेण्डी वार्ड क्र. 18.	पेण्डी वार्ड क्र. 18	श्री हसीम खान के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 05-07-10	खाली तलाशी	-	-
29.	श्री घसिया ठाकुर, रेवाडीह, पेण्डी वार्ड क्र. 18.	पेण्डी वार्ड क्र. 18	श्री मोहन के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 05-07-10	खाली तलाशी	-	-
30.	श्री पंचूराम एवं अन्य, ग्राम भण्डारपुर.	भण्डारपुर	श्री गोविन्द के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 08-07-10	खाली तलाशी	-	-
31.	श्री पंचूराम एवं अन्य, ग्राम भण्डारपुर.	भण्डारपुर	श्री ताजेश्वर के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 08-07-10	खाली तलाशी	-	-
32.	श्री पंचूराम एवं अन्य, ग्राम भण्डारपुर.	भण्डारपुर	श्री रामभरोसा के विरुद्ध खाली तलाशी.	दि. 08-07-10	खाली तलाशी	-	-

परिशिष्ट “ग्यारह”
[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 165) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत (3)	कार्यरत (4)	रिक्त (5)
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
2.	विशेषज्ञ मेडिसीन	1	0	1
3.	विशेषज्ञ सर्जरी	1	0	1
4.	विशेषज्ञ स्त्रीरोग	1	0	1
5.	विशेषज्ञ शिशुरोग	1	0	1
6.	पी. जी. एम. ओ. निश्चेतना	1	0	1
7.	सहा. शल्य चिकित्सक	2	4	0
8.	नर्सिंग सिस्टर	1	0	1
9.	बीईई	1	2	0
10.	लेखापाल/सहा. ग्रेड 02	1	1	0
11.	नेत्र सहायक	1	2	0
12.	नान मेडिकल असिस्टेंट	0	6	0
13.	संगणक/कम कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	0	1
14.	सहायक ग्रेड 03	1	1	0
15.	स्टॉफ नर्स	3	1	2
16.	लेब टेक्नीशियन	1	1	0
17.	एल. एच. व्ही.	2	1	1
18.	एम. पी. डब्ल्यू. (महिला)	1	1	0
19.	पर्यवेक्षक (पुरुष)	1	1	0
20.	नान मेडिकल सुपरवाइजर	1	1	0
21.	एम. पी. डब्ल्यू. (पुरुष)	1	0	1
22.	फार्मासिस्ट ग्रेड 02 कम स्टोर कीपर	2	1	1
23.	रेडियोग्राफर	1	1	0
24.	ड्रेसर ग्रेड 1	1	2	0
25.	ड्रेसर ग्रेड 2	1	1	0
26.	वाहन चालक	2	2	0
27.	वार्ड ब्वाय	2	2	0
28.	चतुर्थ श्रेणी	2	2	0
29.	धोबी	1	0	1
30.	ओ. टी. अटैण्डेंट	1	0	1
31.	चौकीदार	1	1	0
32.	आया	1	1	0
33.	स्वीपर	1	1	0

परिशिष्ट “बारह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 202) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	श्रेणी (2)	निपटान प्रणाली (3)	टिप्पणी (4)
1.	ठोस कम ठोस पाउडर	जमीन में दबाना एक के भीतर एक पद्धति अनुसार कूड़ा निष्क्रियता उच्च तथा मध्यम तापमान पर भस्मीकरण (सीमेंट की भट्टी का प्रयोग).	1 प्रतिशत से प्रतिदिन अधिक नहीं निगम कूड़ा निपटान प्रतिदिन होना चाहिये.
2.	द्रव	सीवर उच्च तापमान (सीमेंट) की भट्टी पर भस्मीकरण.	एंटीनियोप्लास्टिक सीवर में न बहायें.
3.	एम्पल्सस्	एम्पल्सस् का तोड़े और द्रव को सिवर में बहा दें.	एंटीनियोप्लास्टिक सीवर में न बहायें.
4.	संक्रमण रोधी औषध	एक के भीतर एक पद्धति निष्क्रियता मध्यम एवं उच्च तापमान पर भस्मीकरण (सीमेंट की बनी भट्टी).	द्रव एंटीबायोटिक को जल में मिश्रित किया जाये. स्टैण्ड से हटा कर सीवर में बहा दें.
5.	एंटीनियोप्लास्टिक	दानदाता या निर्माता वापस एक के भीतर एक कूड़ा निपटाने रीति, कूड़ा निष्क्रियता पद्धति मध्यम एवं उच्च तापमान वाली भट्टी में भस्मीकरण.	जब तक एक के भीतर एक की पद्धति न अपनायी जाये जमीन में न दबायें. सीवर में न बहायें. मध्यम तापमान पर भस्मीकरण न करें.
6.	नियन्त्रित औषध	एक के भीतर एक पद्धति निष्क्रियता मध्यम एवं उच्च तापमान पर भस्मीकरण (सीमेंट की भट्टी).	जब तक एक के भीतर एक पद्धति का पालन न हो जमीन में गाड़ें.
7.	एरोसील कंसीसटर	भूमि में गाड़ना एक के भीतर एक पद्धति	जलायें नहीं फटने का खतरा है.
8.	मलिनता दूर करने वाले द्रव.	प्रयोग सीवर या तेज बहाव वाले द्रव प्रयोग छोटी/कम मात्रा में मलिनता दूर करने के लिये (अधिकतम 50 लीटर प्रतिदिन परीक्षण में.)	सीवर या जल प्रवाह में अभिश्रित न करें. अधिकतम 50 लीटर प्रतिदिन मिश्रित करें. कम बहाव या रूके हुये पानी में इसका उपयोग न करें.
9.	पी. वी. सी. प्लास्टिक गिलास.	भूमि में दबाना	खुले डिब्बे में न जलायें.
10.	कागज गत्ते के डिब्बे	पुनः उपयोग, जलाना या दबाना	

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 188) के भाग (क) की जानकारी]

वर्तमान में छत्तीसगढ़ फार्मसी कौंसिल में नामांकित सदस्यों के नाम, पता एवं योग्यता निम्नानुसार हैं -

1. श्री केशव दुबे, पंजीयन क्रमांक 3744 पता महावीर मेडिकल एजेंसी मेडिकल काम्प्लेक्स बिलासपुर
योग्यता :- हायर सेकेंडरी
2. श्री जगदीश पटेल, पंजीयन क्रमांक 7435 पता-आदर्श मेडिसेल्स, 16 न्यूमेडिकल काम्प्लेक्स, रायपुर
योग्यता :- डिप्लोमा इन फार्मसी
3. श्री रणजीत सिंह सलूजा, पंजीयन क्रमांक 3494 पता-सलूजा मेडिकल स्टोर्स, मेन रोड, कवर्धा जिला-कबीरधाम
योग्यता :- बी. काम.
4. श्री भरत कुमार अजवानी, पंजीयन क्रमांक 4755 पता- 29/498 ‘आन्जनेय’ टी. वी. टावर रोड, शंकर नगर, रायपुर
योग्यता :- एम. काम.
5. श्री राजकुमार अग्रवाल, पंजीयन क्रमांक 5838 पता-रजत एजेन्सीज, ट्रान्सपोर्ट नगर, रायगढ़
योग्यता :- हायर सेकेण्डरी

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 263) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

राज्य में शासकीय बहु विकलांग गृहों की जानकारी

क्र. (1)	जिला (2)	संस्था का नाम (3)	प्रयोजन (4)	क्षमता (5)
1.	रायपुर	शासकीय बहु विकलांग बाल गृह माना केम्प रायपुर.	बहु निःशक्तता से ग्रस्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था.	100

शासकीय मानसिक रूप से विकलांग बच्चों गृहों की जानकारी

1.	रायपुर	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह माना केम्प रायपुर.	मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण.	25
2.	सरगुजा	शासकीय बौद्धिक मंद बच्चों का विशेष विद्यालय अंबिकापुर.	बौद्धिक मंद बालिकाओं के विशेष विद्यालय.	50
3.	नारायणपुर	शासकीय बौद्धिक मंद बच्चों का विशेष विद्यालय नारायणपुर.	बौद्धिक मंद बालिकाओं के विशेष विद्यालय.	50
4.	बीजापुर	शासकीय बौद्धिक मंद बच्चों का विशेष विद्यालय बीजापुर.	बौद्धिक मंद बालिकाओं के विशेष विद्यालय.	50

प्रपत्र “ब”

निःशक्तजनों हेतु बहुविकलांग एव मानसिक विकलांग की अशासकीय संस्थाएं

क्र. (1)	जिला (2)	संस्था का नाम व पता (3)	प्रयोजन (4)	क्षमता (5)
1.	रायपुर	आकांक्षा लायंस स्कूल फार मेंटली हेण्डीकेप्ड अवन्ति बिहार रायपुर.	मानसिक बच्चों का विशेष विद्यालय एवं शिक्षक-प्रशिक्षण.	100
2.	--,,--	छत्तीसगढ़ विकलांग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, टाटीबंध, जी. ई. रोड रायपुर द्वारा जीवन ज्योति हास्पिटल टाटीबंध रायपुर.	मानसिक विकलांग	100
3.	--,,--	बाल जीवन ज्योति प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र नागरीदास मंदिर ट्रस्ट परिसर सरस्वती चौक के पास पुरानी बस्ती रायपुर.	मानसिक एवं बहुविकलांग	50
4.	--,,--	आदर्श द्वीप अक्षमता केन्द्र क्वा. नं. 1,166 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर.	मानसिक विकलांग	50
5.	बिलासपुर	हेण्डीकेप्ड वोकेशनल एवं एजुकेशनल सोसायटी विनोबा नगर, बिलासपुर.	मानसिक एवं बहुविकलांग	120
6.	राजनांदगांव	मनोकामना मनोविकास केन्द्र, बल्देवगंज, राजनांदगांव.	मानसिक विकलांग	50
7.	दुर्ग	स्नेह संपदा विद्यालय, 32 बंगला चौक, सेक्टर-8 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग.	मानसिक विकलांग	121
8.	--,,--	ब्राईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति, बरईपारा, दुर्ग.	मानसिक, बहुविकलांग श्रणव एवं अस्थि बाधित.	85
9.	--,,--	त्रिविधा विकास समिति, 128 न्यू सिविक सेंटर भिलाई जिला-दुर्ग.	मानसिक विकलांग	71
10.	--,,--	अर्पणस्कूल फार मेंटली हेण्डीकेप्ड चरौदा जिला-दुर्ग द्वारा संचालित :- सचिव, छत्तीसगढ़ विकलांग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान टाटीबंध जी. रोड रायपुर द्वारा जीवन ज्योति हास्पिटल टाटीबंध रायपुर.	मानसिक विकलांग	50
11.	--,,--	मानवता लायंस मनोविकास अनुसंधान एवं पुनर्वास केन्द्र छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड न्यू बोरसी, जिला-दुर्ग.	मानसिक विकलांग	50
12.	सरगुजा	होलीक्रास आशानिकुंज विकलांग केन्द्र, सरगुजा.	मानसिक विकलांग एवं श्रवण बाधित	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	बस्तर	बस्तर विकलांग कल्याण परिषद्, अघनपुर, पो. आ. धरमपुरा, जगदलपुर जिला-बस्तर.	मानसिक विकलांग	120
14.	कोरबा	अंकुर एन. एफ. 3, कोसाबाड़ी सदा कालोनी, कोरबा.	मानसिक व बहुविकलांग	102
15.	कोरबा	इनरव्हील एजुकेशनल सोसायटी गैलरी नं. 3 इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा.	मानसिक विकलांग, बहुविकलांग, मूक बधिर एवं दृष्टि बाधित.	26
16.	--,,--	समर्पण निःशक्त बाल विकास केन्द्र गोवरा, जिला कोरबा.	मानसिक व बहुविकलांग	42
17.	जांजगीर-चांपा	देव सेवा समिति नेताजी चौक अकलतरा रोड नवभारत कार्यालय के सामने जांजगीर-चांपा.	मानसिक विकलांग	20

प्रपत्र "स"

माना स्थित बहु विकलांग व मानसिक विकलांग गृहों की स्थापना एवं निःशक्त हितग्राही की जानकारी (30 जून 2010 की स्थिति)

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	स्थापना (3)	हितग्राहियों की संख्या (4)	मूक बधिर (5)	दृष्टि हीन (6)	अन्य विकलांग (7)	बहु विकलांग (8)	मानसिक (9)
1.	शासकीय बहु विकलांग बाल गृह माना रायपुर.	1992	22	05	-	-	4	13
2.	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह रायपुर.	1981	09	-	-	-	-	09

प्रपत्र "द"

उपरोक्त गृहों में प्रतिव्यक्ति मासिक व्यय

क्रमांक (1)	सामग्री प्रतिपूर्ति (2)	मासिक व्यय (3)
1.	भोजन व्यवस्था	रु. 900/- प्रति व्यक्ति
2.	अन्य व्यवस्था (दवाई तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिये)	रु. 300/- प्रति व्यक्ति

परिशिष्ट “पंद्रह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 280) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिलेवार पंजीकृत एड्स के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या

क्रमांक (1)	जिला (2)	2008-09 (3)	2009-10 (4)
1.	जगदलपुर	65	67
2.	बिलासपुर	106	180
3.	जांजगीर-चांपा	26	12
4.	दंतेवाड़ा	13	8
5.	धमतरी	21	22
6.	दुर्ग	266	328
7.	जशपुर	8	16
8.	कांकेर	10	15
9.	कबीरधाम	53	66
10.	कोरबा	40	50
11.	कोरिया	17	16
12.	महासमुंद	59	73
13.	रायगढ़	10	24
14.	रायपुर	447	512
15.	राजनांदगांव	81	66
16.	सरगुजा	22	47
17.	अन्य राज्यों से	20	9
कुल		1264	1511

राज्य में एड्स संक्रमितों के उपचार के लिये 4 चिकित्सालयों में ए. आर. टी. सेंटर स्थापित है :-

1. पं. जे. एन. एम. मेडिकल कालेज, रायपुर.
2. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर.
3. मेडिकल कालेज, जगदलपुर.
4. जिला चिकित्सालय, दुर्ग.

प्रपत्र “ब”

एन. जी. ओ. को आवंटित राशि

क्रमांक	संस्था का नाम	परियोजना कार्य का जिला	वित्तीय वर्ष 2007-08	वित्तीय वर्ष 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ज्ञानोदय एसोशिएशन	सरगुजा (अंबिकापुर)	निरंक	428683	410190
2.	संकल्प सांस्कृतिक समिति	कबीरधाम	-	427683	426641
3.	जनमित्रम कल्याण समिति	रायगढ़	-	427683	387715
4.	बस्तर सामाजिक जनविकास समिति	जगदलपुर (बस्तर)	-	437433	353468
5.	प्रतिज्ञा विकास संस्थान	दुर्ग	-	305150	419579
6.	मंथन ग्रामीण एव समाज सेवा समिति	रायपुर	-	305150	422088
7.	चेतना चाइल्ड एवं वुमेन वेलफेयर सोसायटी	रायपुर	-	427683	565124
8.	सहयोगी मित्र मंडल	दुर्ग	437433	397834	
9.	पथ प्रदर्शक	सरगुजा (अंबिकापुर)	-	453123	466796
10.	समर्पित	बिलासपुर	-	430683	485593
11.	छ. ग. जनजाति विकास परिषद्	कोरिया (मनेन्द्रगढ़)	-	510873	424676
12.	नवसंकल्प शिक्षण प्रशिक्षण समिति	बिलासपुर	-	427683	411828
13.	समता महिला मंडल	रायपुर	-	430183	416133
14.	मध्य भारत एड्स नियंत्रण समिति	जांजगीर-चांपा	-	305150	371216
15.	ग्रामीण विकास परिषद्	कोरबा	-	305150	398450
16.	वनदर्शन सामाजिक संस्था	कवर्धा	-	431433	357346
17.	कल्प समाज सेवी संस्था	जांजगीर-चांपा	-	430183	381667
18.	नवा बिहान समिति	रायगढ़	-	305150	415843
19.	जनकल्याण सामाजिक संस्थान	राजनांदगांव	-	427683	389689
20.	गोंडवाना आदिवासी विकास सेवा समिति	जांजगीर-चांपा	-	430183	0
21.	आदर्श नवयुवक मंडल	कोरबा	-	498893	459476
22.	शिवमंगल शिक्षण समिति	बिलासपुर	-	431433	423399
23.	अक्षरा ग्रामोत्थान समिति	रायगढ़	-	305150	418618
24.	पथ (ट्रकर्स पथियोजना)	रायपुर	-	-	1549531
25.	प्रतिज्ञा विकास संस्थान (ट्रकर्स परियोजना)	दुर्ग	-	-	828700
योग				9319851	11581600

प्रपत्र "स"

कार्य से पृथक किये गये एन. जी. ओ. का नाम

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	जिला (3)
1.	नवाबिहान	रायगढ़
2.	ग्रामीण विकास परिषद्	कोरबा
3.	ज्ञानोदय एसोशिएशन	सरगुजा
4.	शिवमंगल शिक्षण प्रशिक्षण समिति	बिलासपुर
5.	म. प्र. एड्स नियंत्रण समिति	जांजगीर-चांपा
6.	सहयोगी मित्र मंडल	दुर्ग
7.	मंथन ग्रामीण एवं समाजसेवा समिति	रायपुर
8.	गोंडवाना आदिवासी विकास सेवा समिति	जांजगीर-चांपा

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “सोलह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 59) के भाग (ख) की जानकारी]

1. कॉलेज भवन
2. इन्सिनरेटर
3. ऑडिटोरियम
4. हॉस्पिटल बिल्डिंग
5. सेन्ट्रल गैस बिल्डिंग
6. ब्वायज हॉस्टल
7. जूनियर डॉक्टर हॉस्टल (मेल)
8. गर्ल्स हॉस्टल
9. जूनियर डॉ. हॉस्टल (फिमेल)
10. नर्स हॉस्टल
11. डीन बंगला
12. एम.एस. बंगला
13. टाईप 1 क्वार्टर-2 यूनिट
14. टाईप 3-12 यूनिट 1 ब्लॉक
15. टाईप 4-24 यूनिट 2 ब्लॉक
16. टाईप 5-60 यूनिट 2 ब्लॉक
17. टाईप 6-28 यूनिट 1 ब्लॉक
18. टाईप 7-28 यूनिट 1 ब्लॉक
19. रोड, पुलिया, नाली
20. लिफ्ट तथा
21. बाउण्ड्री/रिटेनिंग वाल.

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 90) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

(क) की जानकारी प्रदेश में कुल 356 पुलिस थाना एवं 95 पुलिस चौकी स्थापित है जिलेवार जानकारी

स. क्र. (1)	जिला (2)	थाना (3)	चौकी (4)
1.	रायपुर	43	13
2.	दुर्ग	40	15
3.	धमतरी	8	2
4.	महासमुन्द	8	5
5.	कबीरधाम	12	2
6.	राजनांदगांव	24	2
7.	बिलासपुर	25	6
8.	कोरबा	12	4
9.	जांजगीर	17	4
10.	रायगढ़	19	6
11.	सरगुजा	12	7
12.	सूरजपुर	14	6
13.	जशपुर	12	7
14.	कोरिया	12	4
15.	बलरामपुर	12	5
16.	बस्तर	22	5
17.	नारायणपुर	7	0
18.	कांकेर	14	3
19.	दन्तेवाड़ा	22	1
20.	बीजापुर	16	1
21.	जीआरपी रायपुर	5	2
योग		356	95

प्रपत्र "ब"

(ख) प्रदेश में स्थापित पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में स्वीकृत एवं उसके विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी

स. क्र.	जिला	स्वीकृत पद		कार्यरत कर्मचारी	
		थाना	चौकी	थाना	चौकी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	1871	211	1218	67
2.	दुर्ग	1597	148	1268	120
3.	धमतरी	395	29	257	17
4.	महासमुन्द	172	72	156	38
5.	कबीरधाम	620	56	362	23
6.	राजनांदगांव	1292	31	931	34
7.	बिलासपुर	797	66	626	56
8.	कोरबा	372	50	290	28
9.	जांजगीर	550	67	450	32
10.	रायगढ़	581	76	586	79
11.	सरगुजा	602	90	597	84
12.	सूरजपुर	667	176	403	113
13.	जशपुर	388	186	235	122
14.	कोरिया	402	108	300	42
15.	बलरामपुर	788	162	487	134
16.	बस्तर	1750	120	1488	263
17.	नारायणपुर	455	0	199	0
18.	कांकेर	862	79	641	78
19.	दन्तेवाड़ा	1359	20	715	10
20.	बीजापुर	1009	21	594	17
21.	जीआरपी रायपुर	307	16	225	19
योग		16836	1784	12028	1376

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 120) के भाग (ख) की जानकारी]

सेटअप में उप रजिस्ट्रार के पद स्वीकृति का मापदण्ड

(01) संयुक्त/उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं (प्रशासन) कार्यालय वर्ग “ब” हेतु निर्धारित मापदण्ड—

1. पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्या 400 से 600 मध्य हो.
2. “ब” वर्ग वर्गीकृत जिलों में एक जिला कार्यालय बस्तर (जगदलपुर) पूर्व से ही संयुक्त पंजीयक का पद निर्धारित है.
3. “ब” वर्ग के जिलों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं उनकी शाखाएं कार्यरत हो साथ ही साथ जिला सहकारी संघ, जिला वनोपज सहकारी संघ जिला विपणन अधिकारी कार्यरत हो.
4. “ब” वर्ग में वर्गीकृत जिले बस्तर (जगदलपुर) राजनांदगांव, सरगुजा व रायगढ़.

(02) संयुक्त/उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं (प्रशासन) कार्यालय वर्ग “स” हेतु निर्धारित मापदण्ड—

1. पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्या 400 से कम हो.
2. “स” वर्ग वर्गीकृत जिलों में एक जिला कार्यालय कांकेर में पूर्व से ही उप पंजीयक का पद निर्धारित है. शेष जिले महासमुंद, जांजगीर, कोरबा, कवर्धा एवं धमतरी को अपग्रेड करते हुए उप पंजीयक का कार्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
3. “स” वर्ग के जिलों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाएं कार्यरत हो तथा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं उनकी शाखाएं कार्यरत हो. वनोपज सहकारी संघ एवं जिला विपणन अधिकारी कार्यालय हो. कोरबा जिले की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्या 400 से अधिक है. किन्तु वहां जिला सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय नहीं है. उनके शाखाएं कार्यरत है. इसलिए कोरबा जिले को “स” में वर्गीकृत किया गया है.

कवर्धा जिले में सहकारी शक्कर कारखाना कार्यरत है, इसलिए इसे “स” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

4. “स” वर्ग में वर्गीकृत जिले कांकेर, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा, जांजगीर, कोरबा.

परिशिष्ट "उन्नीस"

[अतारंजित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 144) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

हितग्राहियों को प्रदायित पूरक पोषण आहार सामग्री, मात्रा एवं कैलोरी का विवरण

क्र.	हितग्राही का विवरण	नाशता		गर्म भोजन		रेडी टू ईट फूड	
		प्रदायित सामग्री एवं मात्रा	कैलोरी (किलो कैलोरी में)	प्रदायित सामग्री एवं मात्रा	कैलोरी (किलो कैलोरी में)	प्रदायित सामग्री एवं मात्रा	कैलोरी (किलो कैलोरी में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे	1. सोमवार एवं शनिवार-चना, मुरमुग, गुड़ (50 ग्राम) 2. मंगलवार एवं शुक्रवार-रेडी टू ईट फूड (55 ग्राम) 3. बुधवार-मूंगफली एवं गुड़ (37 ग्राम) 4. गुरुवार-उबला/भीगा चना, गुड़, नमक (54 ग्राम)	181.63 221.93 177.11 191.8	चावल (65 ग्राम) मूंगदाल (15 ग्राम) सोयाबीन तेल (5 ग्राम) सब्जी, आलू एवं मसाले (20 ग्राम)	224.25 52.2 45 5	-	-
2.	6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे	-	-	-	-	125 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रति हितग्राही प्रतिदिन	504.38
3.	6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे	-	-	-	-	200 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रति हितग्राही प्रतिदिन	807.02
4.	गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं	-	-	-	-	160 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रति हितग्राही प्रतिदिन	645.6

नोट:— 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन के मान से 70 ग्राम रेडी-टू-ईट फूड अतिरिक्त दिया जाता है. 70 ग्राम रेडी-टू-ईट में 285.45 कि. कैलोरी होती है.

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 149) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में योजनावार हितग्राहियों की सूची

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	सुखद सहारा योजना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अरण्ड	29	17	6
2.	मोंहदी	40	37	13
3.	हाडाबंद	31	21	3
4.	ओंकारबंद	30	31	25
5.	खल्लारी	31	26	19
6.	कन्हारपुरी	13	16	5
7.	कोमा	26	28	10
8.	बरबसपुर	15	21	9
9.	गबौद	39	31	19
10.	खुसरूपाली	28	34	14
11.	सुखरीडबरी	36	22	9
12.	दाबपाली	48	53	17
13.	कलमीदादर	64	22	24
14.	डोकरपाली	37	27	11
15.	तेन्दूकोना	30	20	14
16.	मोंगरापाली स	27	44	18
17.	शिकारीपाली	25	32	19
18.	कौंसरा	15	3	3
19.	छुईहा	26	43	25
20.	तुपकबोरा	44	51	23
21.	गांजर	50	78	13
22.	भदरसी	16	23	11
23.	बिराजपाली	29	20	14
24.	सम्हर	31	30	6
25.	लमकेनी	47	18	4
26.	सिरीपठारीमुड़ा	66	32	17
27.	पतेरापाली	13	36	11
28.	बी. के. बाहरा	15	29	9
29.	अंवराडबरी	23	38	14
30.	भीमखोज	25	29	19
31.	म. क. बाहरा	28	23	20
32.	चरौदा	41	34	14
33.	कमरौद	33	4	4
34.	मामाभांचा	36	28	13
35.	पचेड़ा	71	56	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	पोटिया	40	9	6
37.	तुसदा	47	37	14
38.	खुटेरी	31	28	21
39.	डूमरपाली	49	37	20
40.	तमोरा	86	99	25
41.	बोडराबांधा	33	23	13
42.	कुरूभाठा	30	33	12
43.	आमाकोनी	29	24	18
44.	खम्हरिया	25	12	2
45.	बोकरामुड़ाकला	67	50	20
46.	जुनवानी खुर्द	66	4	2
47.	जुनवानी कला	56	34	15
48.	भालूचुंवा	46	37	26
49.	घुंचापालीकला	44	27	22
50.	खोपली	37	26	6
51.	बिहाझर	48	32	11
52.	बागबाहरा कला	26	30	6
53.	कसहीबाहरा	27	31	16
54.	बसुलाडबरी	45	49	15
55.	टेढीनारा	13	13	8
56.	मुनगासेर	21	45	53
57.	खाड़ादरहा	2	16	0
58.	मोगरापाली रे	35	10	4
59.	डोंगरगांव	35	6	2
60.	खेमडा	36	19	15
61.	बोडरीदादर	59	41	24
62.	बाघामुड़ा	19	39	13
63.	खैरटखुर्द	36	32	11
64.	सुवरमार	60	47	16
65.	कोमाखान	27	14	0
66.	घोयनाबाहराकला	17	9	2
67.	कुलिया	84	49	42
68.	बकमा	47	18	22
69.	हाथीबाहरा	32	20	4
70.	टेका	29	27	17
71.	भोथा	30	23	15
72.	कोसमर्रा	15	24	8
73.	टोगोंपानी	40	40	15
74.	कसेकेरा	32	8	1
75.	बोईरगांव	21	16	14
76.	पतेरापाली स	21	21	26
77.	उखरा	47	33	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	पटपरपाली	48	36	5
79.	देवरी	42	47	18
80.	खुर्सीपार	15	6	6
81.	कुसमी	15	15	6
82.	सिमगांव	21	5	0
83.	साल्हेभाठा	50	45	15
84.	टेमरी	87	21	24
85.	सिवनीकला	49	29	8
86.	बिन्द्रावन	48	8	8
87.	भलेसर	49	25	8
88.	खैरटकला	71	22	11
89.	नर्ना	48	30	5
90.	झिटकी	64	42	11
91.	पण्डरीपानी	46	11	4
92.	राटापाली	23	2	0
93.	परकोम	35	21	8
94.	परसुली	63	17	7
95.	खट्टी	29	28	4
96.	गोंडबहाल	30	11	22
97.	मुढीपार	95	29	36
98.	जंघोरा	104	70	43
99.	खुटेरी	23	35	20
100.	अरण्ड	43	31	21
101.	ठाकुरदियाखुर्द	52	14	30
102.	कौहाकुड़ा	15	10	6
103.	ठाकुरदियाकला	23	23	18
104.	धनोरा	53	13	3
105.	घोंच	34	31	18
106.	बगारपाली	10	13	3
107.	घोघरा	44	6	17
108.	दुरुगपाली	80	95	21
109.	गड़बेड़ा	81	28	24
110.	कसहीबाहरा	20	25	18
111.	सोनासिल्ली	59	23	42
112.	लामीडीह	51	20	18
113.	कुम्हारीमुड़ा	45	16	7
114.	बढ़ईपाली	15	11	8
115.	मोंहदा	60	13	32
116.	नयापाराकला	36	9	8
117.	खेड़ीगांव	29	10	11
118.	मुड़ागांव	49	32	27
119.	भुरकोनी	46	8	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
120.	बिराजपाली	11	25	11
121.	कोदोपाली	22	26	10
122.	नवागांवकला	26	17	18
123.	कोल्दा	15	23	17
124.	सोहागपुर	41	5	11
125.	चरौदा	30	17	20
126.	बुन्देली	130	29	39
127.	छिन्दौली	40	65	40
128.	बेल्डीह	33	42	8
129.	लिलेसर	19	17	15
130.	पाली	25	19	7
131.	झारा	36	15	10
132.	सोरम	65	46	28
133.	नगर पंचायत बागबाहरा	187	652	277
योग		5328	4233	2197

प्रपत्र “ब”

2008-2009, 2009-2010 एवं 05 जुलाई 2010 में प्रत्येक माह 10 तारीख तक भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्षवार/माहवार (1)	पेंशन हितग्राही संख्या (2)
वर्ष 2008-09	
अप्रैल 2008	3379
जुलाई 2008	5576
अगस्त 2008	5576
नवंबर 2008	5693
दिसंबर 2008	5693
जनवरी 2009	5693
फरवरी 2009	5664
वर्ष 2009-10	
जुलाई 2009	5529
जनवरी 2010	6098
वर्ष 2010-11	
अप्रैल 2010	10397
मई 2010	7427
जून 2010	7582

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 157) के भाग (ख) की जानकारी]

01 जनवरी 2009 से दिनांक 05-07-10 तक भाटापारा अनुभाग में सड़क दुर्घटना में मृत एवं गंभीर रूप से घायल लोगों को सहायता राशि प्रदान की जानकारी (नाम पता सहित)

क्र.	कुल दर्ज प्रकरण	मृतकों की संख्या	गंभीर रूप से घायलों की संख्या	मृत व्यक्ति का नाम पता जिन्हें सहायता राशि दिया गया	दी गई सहायता राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	471	113	358	1-स्व. महेन्द्र साहू, निवासी जरवाय की पत्नी श्रीमती शारदा साहू.	8,000/- रुपये कलेक्टर द्वारा
				2-स्व. कौशल केवट, निवासी सिमगा के पिता श्री घासीराम केवट सिमगा.	8,000/- रुपये कलेक्टर द्वारा
				3-स्व. शिवकुमार रात्रे, पिता प्रेमकुमार निवासी सम्बलपुर.	4,000/- रुपये एसडीएम भाटापारा द्वारा
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम पता सहित जिन्हें सहायता राशि दिया गया					
	471	113	358	1-कु. आशा पिता धनसाय, जाति सतनामी निवासी ग्राम दरचुरा के पिता धनसाय को दिया गया.	4,000/- रुपये एसडीएम भाटापारा द्वारा

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 176) के भाग (क) की जानकारी]

दिनांक 30-6-2010 की स्थिति में आरक्षक संवर्ग के स्वीकृत/उपलब्ध/रिक्त बल की जिलेवार जानकारी

क्रमांक (1)	इकाई (2)	स्वीकृत (3)	उपलब्ध (4)	रिक्त (5)
1.	रायपुर	2467	1915	552
2.	दुर्ग	1657	1629	28
3.	राजनांदगांव	1428	1342	86
4.	धमतरी	651	539	112
5.	कबीरधाम	662	635	27
6.	महासमुंद	296	277	19
7.	बिलासपुर	1014	917	97
8.	कोरबा	394	394	0
9.	जांजगीर-चांपा	570	532	38
10.	रायगढ़	677	648	29
11.	सरगुजा	804	790	14
12.	जशपुर नगर	637	600	37
13.	कोरिया	557	539	18
14.	बलरामपुर	879	854	25
15.	सूरजपुर	851	824	27
16.	बस्तर	1770	1499	271
17.	दंतेवाड़ा	1622	1478	144
18.	कांकेर	1086	1058	28
19.	बीजापुर	1315	1127	188
20.	नारायणपुर	627	526	101
21.	जीआरपी रायपुर	410	352	58
योग		20374	18475	1899

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 198) के भाग (क) की जानकारी]

"बेडी टू ईट" फूड से संबंधित जिलेवार एन.जी.ओ. का नाम, पता तथा पंजीयन क्रमांक की जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	एन.जी.ओ. का नाम, पता एवं पंजीयन क्रमांक (3)
1.	नारायणपुर	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण सेवा समिति (विश्वास), नारायणपुर, पंजीयन क्रमांक-21784.
2.	कोरिया	रेहाना महिला कल्याण समिति, छोटा बाजार, चिरमिरी, कोरिया पंजीयन क्रमांक-2841

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 209) की जानकारी]

विकासखण्ड कसडोल पलारी एवं रा.नि.मं. लवन में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों की जानकारी

क्रमांक (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)	रा.नि.मं. का नाम (3)	पदस्थापना दिनांक (4)	रिमार्क (5)
1.	श्री फागूलाल देवांगन	कसडोल	01-07-2009	
2.	श्री सुन्दरलाल हिरवानी	गिधौरी	01-05-2006	
3.	श्री गणेशराम धृतलहरे	लवन	10-04-2000	
4.	श्री अमर सिंह रात्रे	पलारी	01-01-2009	
5.	श्री नारायण लाल साहू	संडी	06-03-2010	

रा.नि.मं. लवन एवं तहसील पलारी व कसडोल में पदस्थ पटवारियों की जानकारी

क्रमांक (1)	तहसील का नाम (2)	रा. नि. मं. (3)	पटवारी का नाम (4)	प. ह. नं. (5)	वर्तमान पदस्थापना दिनांक (6)	रिमार्क (7)
1.	कसडोल		श्री घनसाय साहू	01	16-11-09	
2.			श्री सोनाराम धृतलहरे	02	16-11-09	
3.			श्री राजेश ठाकुर	05	16-11-09	
4.			श्री प्रेमलाल साहू	06	23-11-07	
5.			श्री सुदर्शन दुबे	07	16-07-07	
6.			श्री श्रवण कुमार पैकरा	09	23-07-07	
7.			श्री शिवकुमार साहू	10	11-12-07	
8.			श्री चोलेश शंकर साहू	11	11-12-07	
9.			श्री बनीराम साहू	12	16-11-09	31-08-09 को सेवानिवृत्त
10.			श्री भूपेन्द्र नाथ साहू	13	16-11-09	
11.	कसडोल		श्री खेमेश्वर प्रसाद साहू	14	16-11-09	
12.			श्री केवलराम मिरी	15	16-11-09	
13.			श्री राधेश्याम पटेल	16	16-11-09	
14.			श्री योगेशराम साहू	18	29-07-04	
15.			श्री रामनारायण साहू	19	16-11-08	
16.			श्री गंगाप्रसाद बांधे	21	10-02-07	
17.			श्री योगेन्द्र शर्मा	22	24-07-09	
18.			श्री कन्हैयालाल ध्रुव	23	16-11-09	
19.			श्री अरविन्द प्रधान	25	18-09-06	
20.			श्री हरिराम पटेल	26	16-11-09	
21.			श्री रघुनाथ प्रधान	27	18-07-02	31-07-10 को सेवानिवृत्त
22.	पलारी	पलारी	श्री राजाचुड़ामणि जोशी	18	14-08-06	
23.			श्री घनश्याम प्रसाद साव	22	02-01-08	
24.			श्री तेजपाल दुबे	23	21-12-09	
25.			श्री भोजेन्द्र कुमार ध्रुव	24	13-11-09	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	पलारी	पलारी	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	25	13-11-09	
27.			श्री धनेश कुमार बंजारे	26	13-11-09	
28.			श्री संजय कुमार नायडू	28	11-03-08	
29.			श्री महेशकुमार ध्रुव	30	10-11-09	
30.			श्री नरेन्द्र कुमार बोरसे	32	09-02-07	
31.	पलारी	संडी	श्री रैनसिंह दीवान	01	15-12-09	
32.			श्री जयराम सिंह ठाकुर	02	20-02-07	
33.			श्री रामनाथ अजगले	04	30-12-09	
34.			श्री सुखीराम साहू	05	13-11-09	
35.	पलारी	संडी	कु. शिरिश रावत	06	12-02-07	
36.			श्री भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा	07	23-10-07	
37.			श्री नंदराम साहू	08	13-11-09	
38.			श्री सीताराम कंवर	10	13-11-09	
39.			श्री अंजन मिश्रा	12	13-11-09	
40.			श्री आजूराम यदुवंशी	14	13-11-09	
41.	बलौदाबाजार	लवन	श्री मोहनलाल सिन्हा	17	08-12-09	
42.			श्री वेदराम वर्मा	18	12-07-10	
43.			श्री नरेन्द्र कुमार टंडन	20	13-11-09	
44.			श्री कार्तिकराम मत्स्यपाल	22	13-11-09	
45.			श्री कन्हैयालाल पुरेना	23	08-05-10	
46.			श्री घनश्याम प्रसाद साहू	24	17-09-08	
47.			श्री बृहस्पत प्रधान	25	12-12-09	
48.			श्री देवराज दीवान	26	10-07-09	
49.			श्री शिवसिंह ध्रुव	27	30-01-09	
50.			श्री रूपसिंह दीवान	28	13-11-09	
51.			श्री गोपीचंद देवगढ़े	29	17-07-08	
52.			श्री सत्यनारायण ध्रुव	31	30-06-07	
53.			श्री चित्रसेन निराला	32	12-02-07	

परिशिष्ट “पच्चीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 221) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र का नाम-बेमेतरा विकासखण्ड-बेमेतरा
विधान सभा अंतर्गत आने वाले आं. बा. केन्द्रों की संख्या - 80

क्र.	माह का नाम	दिनांक 01-01-2009 से 31-03-2010 तक कुल औसत रूप से प्रतिदिन लाभांशित बच्चों की संख्या		राशि (रुपये में)
		6 माह से 3 वर्ष आयु के औसत लाभांशित बच्चे	3 से 6 वर्ष आयु के औसत लाभांशित बच्चे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनवरी 09	2268	2407	233941
2.	फरवरी 09	1318	1684	150122
3.	मार्च 09	1826	1936	155868
4.	अप्रैल 09	1232	1886	158380
5.	मई 09	1324	1522	143554
6.	जून 09	2079	2049	226891
7.	जुलाई 09	2231	2434	253750
8.	अगस्त 09	2263	1864	207041
9.	सितम्बर 09	1162	2452	181176
10.	अक्टूबर 09	632	2099	136763
11.	नवम्बर 09	1979	2464	222600
12.	दिसम्बर 09	1289	2546	318542
13.	जनवरी 10	1206	2592	320482
14.	फरवरी 10	1254	2401	310930
15.	मार्च 2010	1417	2212	300052
औसत रूप से प्रतिदिन लाभांशित बच्चे		1565	2170	राशि 33,19,092

विधान सभा क्षेत्र का नाम- बेमेतरा विकासखण्ड-धमधा
विधान सभा अंतर्गत आने वाले आं. बा. केन्द्रों की संख्या - 21

क्र.	माह का नाम	दिनांक 01-01-2009 से 31-03-2010 तक कुल औसत रूप से प्रतिदिन लाभांविता बच्चों की संख्या		राशि (रुपये में)
		6 माह से 3 वर्ष आयु के औसत लाभांविता बच्चे	3 से 6 वर्ष आयु के औसत लाभांविता बच्चे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनवरी 09	569	603	58612
2.	फरवरी 09	1148	706	92664
3.	मार्च 09	643	645	64422
4.	अप्रैल 09	811	654	73248
5.	मई 09	998	549	77360
6.	जून 09	1260	659	95926
7.	जुलाई 09	958	626	79186
8.	अगस्त 09	1187	591	88908
9.	सितम्बर 09	291	664	47778
10.	अक्टूबर 09	54	547	30082
11.	नवम्बर 09	901	758	165932
12.	दिसम्बर 09	1020	708	172812
13.	जनवरी 10	1023	776	179956
14.	फरवरी 10	1277	805	208240
15.	मार्च 2010	982	710	169224
औसत रूप से प्रतिदिन लाभांविता बच्चे		875	667	राशि 16,04,350

विधान सभा क्षेत्र का नाम-बेमेतरा विकासखण्ड-बेरला
विधान सभा अंतर्गत आने वाले आं. बा. केन्द्रों की संख्या - 198

क्र.	माह का नाम	दिनांक 01-01-2009 से 31-03-2010 तक कुल औसत रूप से प्रतिदिन लाभांवित बच्चों की संख्या		राशि (रुपये में)
		6 माह से 3 वर्ष आयु के औसत लाभांवित बच्चे	3 से 6 वर्ष आयु के औसत लाभांवित बच्चे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनवरी 09	2274	4275	327867
2.	फरवरी 09	2738	5540	414714
3.	मार्च 09	3438	5232	334116
4.	अप्रैल 09	3840	5735	479655
5.	मई 09	4453	4424	444794
6.	जून 09	5466	5004	525207
7.	जुलाई 09	5307	4870	510484
8.	अगस्त 09	5647	4407	504747
9.	सितम्बर 09	3412	5179	817611
10.	अक्टूबर 09	2518	3501	572212
11.	नवम्बर 09	3306	5546	845510
12.	दिसम्बर 09	3083	5984	993403
13.	जनवरी 10	4974	5915	1001993
14.	फरवरी 10	4191	6177	988763
15.	मार्च 2010	4989	5756	1012217
औसत रूप से प्रतिदिन लाभांवित बच्चे		3976	5170	राशि 97,73,293

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 238) की जानकारी]

प्रदेश में अन्य देशों से आये/गये/निवासरत् विदेशी नागरिकों की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	वर्ष (3)	पाक (4)	श्रीलंका (5)	चीनी (6)	बंगला देश (7)	नेपाल (8)	कुल (9)	आये (10)	गये (11)	निवासरत् (12)	की गई कार्यवाही (13)
1.	रायपुर	2005	346	निरंक	02	निरंक	निरंक	348	348	311	37 पाक	एलटीव्ही पर
		2006	264	निरंक	15	निरंक	निरंक	279	279	207	72 पाक	एलटीव्ही पर
		2007	442	01	16	निरंक	निरंक	459	459	346	01 श्रीलंका 112 पाक	एलटीव्ही पर
		2008	496	02	22	01	निरंक	521	521	384	01 बंगलादेशी 136 पाक	एलटीव्ही पर
		2009	398	02	21	01	निरंक	422	422	246	01 बंगलादेशी 175 पाक	एलटीव्ही पर
		2010	336	02	10	02	निरंक	350	350	228	06 चीनी 02 श्रीलंका 01 बंगलादेशी 113 पाक	निवासरत् एलटीव्ही पर
2.	रायगढ़	2005	01	निरंक	35	02	01	39	39	निरंक	निरंक	निरंक
		2006	03	निरंक	68	निरंक	निरंक	71	71	निरंक	निरंक	निरंक
		2007	निरंक	निरंक	87	02	निरंक	89	89	निरंक	निरंक	निरंक
		2008	01	06	80	10	निरंक	97	97	96	01 पाक	निरंक
		2009	03	01	156	02	01	163	163	161	02 बंगला देशी	निरंक
		2010	03	निरंक	131	निरंक	निरंक	134	134	96	38 चीनी	निवासरत्

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	दुर्ग	2005	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2006	90	निरंक	01	निरंक	निरंक	91	91	91	निरंक	निरंक
		2007	100	निरंक	01	निरंक	निरंक	101	101	101	निरंक	निरंक
		2008	83	निरंक	निरंक	01	निरंक	84	84	72	12 पाक	एलटीव्ही पर
		2009	68	निरंक	निरंक	02	निरंक	70	70	63	07 पाक	एलटीव्ही पर
		2010	52	निरंक	01	निरंक	निरंक	53	53	40	12 पाक	एलटीव्ही पर
											01 चिनी	
12.	बस्तर	2005	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		2006	03	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	03	03	03	निरंक	निरंक
		2007	17 पाक	14 फुटबाल	निरंक	11 फुटबाल	निरंक	226	226	226	निरंक	निरंक
			फुटबाल टीम	टीम		टीम						
			160 पाक	11 महिला								
			तृथ्यात्री	फुटबाल टीम								
			13 अन्य									
		2008	04	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	04	04	04	निरंक	निरंक
		2009	01	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	01	01	01	निरंक	निरंक
		2010	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	कोरबा	2005	02	निरंक	156	निरंक	निरंक	158	158	158	निरंक	निरंक
		2006	निरंक	निरंक	44	निरंक	निरंक	44	44	44	निरंक	निरंक
		2007	02	निरंक	121	निरंक	निरंक	123	123	123	निरंक	निरंक
		2008	निरंक	निरंक	213	निरंक	निरंक	213	213	213	निरंक	निरंक
		2009	निरंक	निरंक	324	निरंक	निरंक	324	324	301	23 चीनी	32 में से 03 के
												विरुद्ध
												अप. पंजी. है.
												निवासरत् है
		2010	निरंक	निरंक	186	निरंक	निरंक	186	186	27	159 चीनी	

परिशिष्ट “सत्ताईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 252) के भाग (क) की जानकारी]

माननीय राजस्व मण्डल बिलासपुर से 06 कोटवारों द्वारा विक्रय की अनुमति प्राप्त करके विक्रय की गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	कोटवार का नाम (2)	ग्राम (3)	थाना (4)	रकबा (5)	राजस्व मण्डल का प्रकरण क्र. (6)
1.	नन्दू आत्मज सुखरू	सराईपाली	पूँजीपथरा	1.672 हे.	एम./13/आर/41/09 आदेश दि. 18-08-09
2.	सिरोबाई पति हेमलाल	जगतपुर	सिटी कोतवाली रायगढ़	1.878 हे.	एन. आर./23/09 आदेश दि. 18-08-09
3.	रत्थूराम आत्मज घुटुराम	किशनापुर	कोतरारोड रायगढ़	2.165 हे.	आर. एन./13/28/09 आदेश दि. 18-08-09
4.	पंचराम आत्मज रामसिंह	अतरमुड़ा बड़े	चक्रधरनगर रायगढ़	1.117 हे.	आर. एन./13/32/09 आदेश दि. 18-08-09
5.	मनीराम	कुसवाबहरी	भूपदेवपुर	1.215 हे.	आर. एन./13/461/09 आदेश दि. 18-08-09
6.	संतोष आत्मज गयाराम	केराझर	भूपदेवपुर	1.882 हे.	आर. एन./29/09 आदेश दि. 18-08-09

परिशिष्ट “अट्ठाईस”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 283) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	चिकित्सक			अन्य स्टाँफ		
		स्वीकृत (3)	कार्यरत (4)	रिक्त (5)	स्वीकृत (6)	कार्यरत (7)	रिक्त (8)
1.	मस्तूरी	30	19	11	223	143	80
2.	बिल्हा	26	20	06	228	165	63
3.	पथरिया	16	12	04	132	70	62
4.	तखतपुर	26	10	16	195	147	48
5.	मुंगेली	24	11	13	171	108	63
6.	लोरमी	26	11	15	196	102	94
7.	कोटा	28	20	08	226	145	81
8.	गौरैला	22	15	07	146	95	51
9.	पेण्ड्रा	18	06	12	122	85	37
10.	मरवाही	18	07	11	164	85	79
कुल		234	131	103	1803	1145	658

परिशिष्ट “उन्तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 284) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	फाइलेरिया मरीजों की संख्या		
		वर्ष 2008	वर्ष 2009	दिनांक 05-07-2010 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	2035	2054	सामूहिक दवा सेवन कराने के पूर्व माह सितम्बर, अक्टूबर में सर्वे किया जावेगा.
2.	बिलासपुर	854	1131	
3.	धमतरी	594	762	
4.	जांजगीर	893	838	
5.	सरगुजा	608	876	
6.	जशपुर	642	763	
7.	रायगढ़	2389	2647	
8.	दुर्ग	1692	1937	
9.	महासमुंद	1900	2084	
कुल		11607	13092	